तृतीय माला, खंड २६, अंक ११ सोमवार, २४ फरवरी, १९६४/५ फाल्गुन, १८८५ (शक)
Third Series, Vol. XXVI, No.11 Monday, February 24,1964/Phalguna 5, 1885 (Saka)

599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21-5-92
Parliament Library

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi]

2347 (ai) LSD—1

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २६—सातवां सत्र १९६४]

अंक ११—सोमवार, २४ फरवरी, १९६४/५ फाल्गुन, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	७८७—८१०
*तारांकित प्रश्न संख्या		
२५६	सैनिक कर्मचारियों के लिये मकान .	७८७—८९
२५७	चीन द्वारा भारत-विरोधी प्रचार	७८९—९२
२५८	अफ्रीकी देशों को भारतीय प्रतिनिधिमंडल . . .	७९२—९४
२५९	भारत-चीन सीमा पर चीनी सेनायें . .	७९४—९७
२६०	दिल्ली में दुकान कर्मचारियों को उपदान . . .	७९७—९८
२६१	मरमागाओ में नौसेना का अड्डा . . .	७९८
२६२	पहाड़ी डिवीजन	७९८—८०२
२६३	इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड . . .	८०२—०४
२६४	इलैक्ट्रोनिक्स फैक्टरी, हैदराबाद	८०४—०५
२६५	टैंकों का निर्माण	८०५—०७
२६६	पीकिंग में भारतीय राजदूत	८०७—१०
२६७	बेरुबाड़ी]	८१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . .	८११—३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६८	लाओस से भारतीय सेना का वापस बुलाया जाना . .	८११
२६९	भारत में चीनी दूतावास	८११
२७०	नई दिल्ली में चीनी दूत . . .	८१२
२७१	शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारी	८१३
२७२	युद्ध-पोत	८१३

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series VOL. XXVI—Seventh Session, 1964]
No. 11—Monday, February 24, 1964 Phalguna 5, 1885 (Saka)

		Page
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		787—810
***Starred Question Nos.**	**Subject**	
256	Accommodation for Army Personnel	787—89
257	Anti-Indian Propaganda by China	789—92
258	Indian Delegation to African Countries	792—94
259	Chinese Trops along Indian Borders	794—97
260	Gratuity to Shop Employees in Delhi	197—98
261	Naval Shipment at Marmagao	798
262	Mountain Divisions	798—802
263	Wage Board for Engineering Industry	802—04
264	Electronics Factory, Hyderabad	804—05
265	Manufacture of Tanks	805—07
266	Indian Envoy in Peking	807—10
267	Berubari	810
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		811—834
Starred Question Nos.		
268	Recall of Indian Contingent from Laos	811
269	Chinese Embassy in India	811
270	Chinese Envoy in New Delhi	811
271	Employees of Educational Institutes	813
272	War Ships	813

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२७३	पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन	८१४–१५
२७४	राजशाही में भारत के सह-उच्चायुक्त का कार्यालय	८१५
२७५	देशी भाषाओं के समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा	८१५
२७६	राणा प्रताप सागर में आण्विक बिजलीघर	८१५–१६
२७७	बोनस आयोग	८१६–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४८६	पंजाब कपड़ा मिलों में श्रम कल्याण अधिकारी	८१७
४८७	पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को रोजगार	८१७
४८८	गंजम में रेडियो एक्टिव खनिज	८१७–१८
४८९	पश्चिमी बंगाल में सीमावर्ती सड़कें	८१८
४९०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	८१८
४९१	जवानों के लिये भूमि	८१९
४९२	चीन पाकिस्तान प्रतिरक्षा समझौता	८१९
४९३	आकाशवाणी का समाचार विभाग	८१९–२०
४९४	नेफा के लिये प्रचार योजना	८२०
४९५	विदेशी भाषायें प्रशिक्षण स्कूल	८२०–२१
४९६	राष्ट्रीय रक्षा कोष	८२१
४९७	तेजपुर-बोमदिला रोड	८२२
४९८	'पुष्पक' विमान	८२२
४९९	औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली में अनिर्णित मामले	८२२–२३
५००	भारतीय सहायता से नेपाल में राजपथ	८२३
५०१	अस्पृश्यता निवारण सम्बंधी फिल्म	८२४
५०२	हैलीकोप्टरों का निर्माण	८२४
५०३	पश्चिमी बंगाल में जवानों की विधवाओं के लिये बस्तियां	८२४
५०४	कोयला खान भविष्य निधि योजना	८२५
५०५	विश्व संघ सरकार	८२५
५०६	बर्मा के सैनिक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा	८२६
५०७	विमान चालकों के लिये जीवन बीमा	८२६
५०८	आकाशवाणी कार्यक्रम	८२६–२७
५०९	मौजाम्बिक में भारतीय	८२७

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Question Nos.	Subject	Pages
273	Pak Intrusions	814—15
274	Office of the Assistant High Commissioner for India in Rajshahi	815
275	Newsprint Quota for Language Newspapers . . .	815
276	Nuclear Power Station at Rana Pratap Sagar . . .	815—16
277	Bonus Cmmission	816—17
Unstarred Question Nos.		
486	Labour Welfare officers in Punjab Textile Mills . .	817
487	Employment of Scheduled Castes and Tribes in Punjab .	817
488	Radio Active Minerals in Ganjam	817—18
489	Border Roads in West Bengal	818
490	Employees State Insurance Scheme	818
491	Land for Jawans	819
492	Sino-Pakistan Defence Pact	819
493	News Service Division of the A.I.R.	819—20
494	Publicity Scheme for NEFA	820
495	Foreign Languages Training School	820—21
496	National Defence Fund	821
497	Tejpur Bomdila Road	822
498	Pushpak Aircraft	822
499	Cases pending before Industrial Tribunal, Delhi . .	822—23
500	Highway in Nepal with Indian Aid	823
501	Film on Removal of Untouchability	824
502	Manufacture of Helico pters	824
503	Colonies for Widows of Jawans in West Bengal . .	824
504	Coal Mines Provident Fund Scheme	825
505	World Federal Government	825
506	Visit of Burmese Army Delegation	826
507	Life Insurance for Pilots	826
508	A.I.R. Programmes	826—27
509	Indians in Mozambique	827

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५१०	यूगोस्लाविया से सैनिक सहायता	८२७
५११	स्टेन गन की चोरी	८२७–२८
५१२	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	८२८
५१३	नेफा में भूतपूर्व सैनिक	८२८
५१४	सीमा सड़क परियोजनायें	८२८–२९
५१५	गणतंत्र दिवस की परेड के लिए निमंत्रण पत्र	८२९–३०
५१६	पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश	८३०
५१७	सशस्त्र सेना झंडा दिवस	८३०–३१
५१८	चीन की धमकी पर फिल्म	८३१
५१९	गणतंत्र दिवस परेड	८३१–३२
५२०	ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण	८३२
५२१	पाकिस्तानी सीमा पर मारे गये भारतीय जवान	८३२–३३
५२२	ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स	८३३
५२३	माही के लिये केरल भूमि सुधार अधिनियम	८३३–३४
५२४	नौसेना के जहाजों की टक्कर	८३४
दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२९ के उत्तर में शुद्धि		८३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		
नागा विद्रोहियो द्वारा कुछ पदाधिकारियों की हत्या		८३४–३५
श्री स्वैल		८३४
श्रीमती लक्ष्मी मेनन		८३५
स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में		८३५
भारतीय वायुसेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में		८३५–३६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में		८३६
सभा पटल पर रखे गए पत्र		८३७–३८
लोक लेखा समिति—		
उन्नीसवां प्रतिवेदन		८३८
सुरक्षा परिषद् में काश्मीर पर हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य		
श्री मु० क० चागला		८३८—४१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
510	Military aid from Yugoslavia	827
511	Theft of Sten Gun	827—28
512	Employees Provident Fund Act	828
513	Ex-Servicemen in NEFA	828
514	Border Road Projects	828—29
515	Invitation Cards for Republic Day Parade	828—30
516	Trespassing by Pakistanis	830
517	Armed Forces Flag Day	830—31
518	Film on Chinese Threat	831
519	Republic Day Parade	831—32
520	Manufacture of Transister Radios	832
521	Indian Jawans killed at Pakistan Border	832—33
522	Gwalior Engineering Works	833
523	Kerala Land Reforms Act for Mahe	833—34
524	Collision of Naval Ships	834
	Correction of Answer to Unstarred Question No. 1729, dated 16th December, 1963.	834

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Killing of officials by Naga hostiles . . . . 834—35

Shri Swell 834

Shrimati Lakshmi Menon 835

Re : Motion for Adjournment and Calling Attention Notices . 835

Re : Missing I.A.F. aircraft . . . . . 835—36

Re : Motion for Adjournment 836

Papers laid on the Table . . . . . 837—38

Public Accounts Committee—

Nineteenth Report 838

Statement re: Security Council Debate on Kashmir —

Shri M.C. Chagla . . . . . 838—41

विषय	पृष्ठ
रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा	८४१—५७
श्री हेम राज	८४१—४२
श्रीमती अकम्मा देवी	८४२–४३
श्री अ० शं० आल्वा	८४३–४४
श्री नि० रं० लास्कर	८४४–४५
श्री नरसिम्हा रेड्डी	८४५—४७
श्री केम्पन	५४७–४८
श्री शाहनवाज खां	८४८—५२
श्री वारियर	८५२–५३
डा० सरोजिनी महिषी	८५३—५५
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	८५५–५६
श्री जगदेवसिंह सिद्धांती	८५६–५७
श्री कृ० ल० मोरे	८५७
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर पाकिस्तान—अधिकृत काश्मीर के सैनिकों द्वारा काश्मीर में युद्धविराम रेखा के इस ओर भारतीय क्षेत्र में छिप कर हमला किया जाना	
श्री यशवंत राव चव्हाण	८५७—६०

Subject	Pages
Railway Budget—General Discussion	841—57
Shri Hem Raj	841—42
Shrimati Akkamma Devi	842—43
Shri A. S. Alva	843—44
Shri N. R. Laskar	844—45
Shri Narsimha Reddy	845—47
Shri Kappen	847—48
Shri Shahnawaz Khan	848—52
Shri Warior	952—53
Dr. Sarojini Mahishi	853—55
Shri Vishwanath Pandey	855—56
Shri Siddhanti	856—57
Shri K. L. More	857
Motion for Adjournment—	
Ambushment of Indian Police patrol men by armed personnel of Pakistan-occupied Kashmir on the Indian side of cease-fire line Shri Y. B. Chavan	857—60

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, २४ फरवरी, १९६४/ ५ फाल्गुन १८८५ (शक)

Monday, Februaury 24, 1964 Phalguna 5, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair.*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सैनिक कर्मचारियों के लिए मकान

+

*२५६. {श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री नम्बियार :
श्री स्वैन :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री मोहन स्वरूप :}

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक अधिकारियों, जवानों और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को परिवारों के साथ रहने के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कुछ योजनायें प्रारम्भ की हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या मकानों के निर्माण के लिये कुछ स्थान चुन लिये गये हैं और भूमि अर्जित कर ली गई है; और

(घ) योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और जिन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है उनके नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). सरकार की नीति यह है कि विवाहित अफसरों और जवानों के लिए क्वार्टर जिनके वे अधिकारी हों, योजनाबद्ध ढंग से बनाये जायें। जब सरकारी क्वार्टरों की कमी हो तो किराये पर मकान लेने की अनुमति दे दी जाती है। जहां तक संभव है और जो भूमि सरकार के पास है उस पर विवाहितों के लिए क्वार्टर बनाये जाते हैं। जहां जरूरत हो वहां जमीनों का अधिग्रहण भी किया जाता है। यह भी फैसला किया गया है कि अफसरों और सैनिकों के परिवारों के लिए जो उनसे अलग रह रहे हों, कुछ चुने हुए स्थानों पर क्वार्टर बनाये जायें। इस सम्बन्ध में कुछ परियोजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में विवाहितों के क्वार्टरों और उन के अलग रहने वाले परिवारों के लिए क्वार्टर बनाने पर साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च होगा।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है, एक योजना शुरू की गयी है जिसके अनुसार वे सहकारी आवास बस्तियों के द्वारा मकान बनवा सकें। दिल्ली के बाहर ६० स्थान इन बस्तियों के लिये चुने गये हैं। सरकार इन योजनाओं पर कोई प्रत्यक्ष खर्चा नहीं करेगी।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of those Officers on duty at present for whom there is no family accommodation?

श्री दा० रा० चह्वाण : एक-ब-एक यह बताना मुश्किल है कि कितने सैनिकों के परिवारों के लिए जगह नहीं दी गयी है।

Shri Yashpal Singh : By what time this work will be completed?

श्री दा० रा० चह्वाण : चूंकि विवाहितों के लिए जगह की काफी कमी है इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि उन्हें जगह देने में कितना समय लगेगा।

श्री वी० चं० शर्मा : फिरोजपुर और अम्बाला में कुछ परियोजनाएं शुरू की गयी थीं जहां अफसरों और जवानों ने खुद ही निर्माण-कार्य किया। क्या ये क्वार्टर बनाने में वही ढांचा अपनाया जायगा और यदि हां, तो किन जगहों पर ?

श्री दा० रा० चह्वाण : वह एक लम्बी सूची है। जहां तक सेना का सम्बन्ध है, वे स्थान ये हैं : आंध, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली छावनी, पठानकोट, पटियाला, नाभा, संगरूर और लखनऊ। नौ सेना के सम्बन्ध में वे स्थान हैं जामनगर, लोनावाला, कोलाबा, सुदूर, कोयम्बटूर, कोचीन, विशाखापत्तनम्, गोआ और पोर्ट ब्लेअर।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वह नामों की बहुत लम्बी सूची हो, तो बताने की जरूरत नहीं।

श्री दा० रा० चह्वाण : वह एक लम्बी सूची है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि दिल्ली में नियुक्त काफी अधिक सैनिक अफसरों को, जो परिवार के लिए जगह के हकदार हैं, जगह नहीं दी गयी है और उनकी संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) संख्या बताना कठिन है लेकिन निश्चय ही कई ऐसे अफसर हैं जिन्हें विवाहित सैनिकों के लिए निर्धारित जगह नहीं दी गयी है।

श्री वारियर : क्या सरकार उन्हें कुछ पूरक भत्ता दे रही है ताकि वे गैर-सरकारी जगह का किराया सरकारी सहायता में से दे सकें ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : उसका कुछ हिस्सा दिया जाता है ।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether any provisions has been made in this scheme for grant of loan or Takavi to them because exservicemen are unable to utilise the land allotted to them on account of their economic condition and therefore leave it.

श्री दा० रा० चह्वाण : यह बिलकुल अलग सवाल है, इसका सम्बन्ध विवाहित व्यक्तियों के स्थान से है ।

श्री स्वैल : मैंने जो प्रश्न भेजा था वह इससे बिलकुल अलग था लेकिन मेरा नाम यहां जोड़ दिया गया है। मैंने जो प्रश्न भेजा था उसी के बारे में मैं पूछूंगा। क्या यह सच है कि शिलांग में जहां अभी हाल की गोलाबारी में राज्य सरकार ने आदिम जाति के २ लोग मारे जाने और लगभग १९ व्यक्तियों के आहत होने की पुष्टि की है, क्या सरकार ने प्रतिरक्षा बस्ती कायम करने का निश्चय किया है और क्या सरकार ने राज्य सरकार से यह पता लगाया है कि उसके पास शिलांग में इसके लिए जगह है और इस जमीन को उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार आदिम जाति के और कितने लोगों को गोली मारने जा रही है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मुझे अलग सूचना चाहिये।

श्री श्याम लाल सर्राफ : माननीय मंत्री ने जिस योजना का उल्लेख किया है क्या वह छः साल पहले पेश की गयी उस योजना से अलग है जिसके अनुसार अम्बाला फिरोजपुर और जम्मू तथा काश्मीर कमान एरिया में कुछ क्वार्टर बनाये जाने वाले थे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मेरे पास यह विशिष्ठ जानकारी नहीं है।

चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार

\+

*२५७. **श्री हरिश्चन्द्र माथर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेमराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी–एशियाई देशों में भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार की ओर सरकार ने कोई ध्यान दिया है; और

(ख) भारत सरकार ने, यदि कोई, प्रतिरोधात्मक कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वैदेशिककार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। सरकार को ता है कि चीन अफ्रीका और एशिया के देशों में क्या प्रचार कर रहा है ।

(ख) सरकार ने इस प्रचार का असर दूर करने के लिए निम्नलिखित काम किये हैं:—

(क) विशेष पुस्तिकायें, बुलेटिन, लेख और अन्य प्रचार सामग्री बांटी जाती है।

(ख) आकाशवाणी के विदेशी प्रसारणों द्वारा प्रचार किया जाता है।

(ग) विदेशी और भारतीय समाचार पत्रों को नियमित रूप से सामग्री दी जाती है।

(घ) कुछ देशों में उच्च स्तर के प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं। और

(ङ) विदेशों में हमारे दूतावासों को प्रचार के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दिये जाते हैं और इस सम्बन्ध मे सामग्री दी जाती है कि इस स्थिति की पृष्ठभूमि क्या है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अफ्रो-एशियाई देशों में चीनी प्रचार किस प्रकार का था और उसका क्या प्रयोजन था, उसका क्या प्रभाव पड़ा है और कौन कौन से देश अब चीन की तरफ झुक रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : चीन के सामान्य प्रचार का उद्देश्य यह रहा है कि उस शांतिपूर्ण चीन का चित्र प्रदर्शित किया जाय जो अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। उसने भारत-चीन विवाद के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और अफ्रो-एशियाई देशों के साथ मंत्री बनाये रखने का सामान्य रूप से प्रयत्न किया है। हम ने भी इस सम्बन्ध में सही स्थिति बताने का और उन्हें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि चीन ने आक्रमण किया है और उसके बावजूद भारत शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने के लिए तैयार है बशर्ते कि चीन कोलम्बो प्रस्तावों को मंजूर कर ले। हम ने उस भारत का चित्र भी प्रस्तुत किया है जो अफ्रीका और एशिया के साथ सहयोग करने के लिए आतुर है, जिसने उन देशों के स्वाधीनता आन्दोलनों में काफी हाथ बंटाया है और जो अब भी आर्थिक तथा दूसरे मामलों में उनका साथ देने के लिए बहुत उत्सुक है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : चीनी प्रचार का क्या प्रभाव पड़ा और एशिया और अफ्रीका के कौन कौन से देश चीन की ओर झुक रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : हमारे लिए इस तरह का भेदभाव करना कि एशिया और अफ्रीका के अमुक अमुक देश चीन के समर्थक हैं और अमुक देश चीन विरोधी हैं, उचित नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि सभी अफ्रीकी देशों में भारत के लिए काफी सद्भावना थी क्योंकि उनकी आकांक्षाओं और उनके संघर्ष से हमारा गहरा सम्बन्ध था ? ऐसे महत्वपूर्ण समय में जबकि चीन भारत के विरुद्ध है, किन परिस्थितियों से सभी अफ्रीकी देश चीनी प्रधान मंत्री को बुलाने के लिए राजी हो गये और यह स्थिति सुधारने के लिए हम ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : उन सभी देशों में भारत के लिए सद्भावना है। चीन एक स्वतंत्र देश है प्रधान मंत्री को बुलाने का एक रिवाज होता है।

श्री हेम बरुआ : अभी कल ही श्री चाऊ एन लाई ने भारत पर "बड़े राष्ट्र का जिद्दी रुख" का आरोप लगाया है और अफ्रो-एशियाई देशों में भारत का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इस सम्बन्ध में हम ने भी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी चीन का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारा मुख्य प्रयत्न यह है कि हम पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करें और फिर चीनी प्रचार का खण्डन करें।

श्री हेम बरुआ: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने बताया कि हम विरोधी प्रचार का खण्डन करते हैं। चीन ने हम पर दोषारोप किया है। क्या हम उसका जवाब दे पाये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री ही० न० मुकर्जी : इस बात को देखते हुए कि चीन के भारत विरोधी प्रचार को पाकिस्तानी विद्वेषात्मक प्रचार आन्दोलन के अनुरूप बनाया गया है, हमारी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर इस प्रकार के संयुक्त आक्रमण का मुकाबला करने के लिए अभी हाल में क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं और किये जाने वाले हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : अक्तूबर, १९६२ में चीनी आक्रमण के बारे से हम एशिया और अफ्रीका के कितने देशों को अपने पक्ष में कर सके हैं और उन्हें चीन से अलग कर सके हैं ? वे कौन कौन से देश हैं जिन्हें हम अपनी ओर कर सके हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस मामले पर पहले चर्चा कर चुके हैं। यहां प्रत्येक के नाम बताना उचित नहीं होगा। लेकिन अब हमें अफ्रीका के अधिक देशों से समर्थन प्राप्त हो रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह अतिशयोक्ति है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : चीनी प्रधान मंत्री की अभी हाल की अफ्रीकी यात्रा में मुख्यतः किन किन नीति विषेयक उद्देश्यों पर बल दिया गया है और अफ्रीकी देशों से उन्हें क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ ? क्या इसका विश्लेषण किया गया है और अफ्रीका में चीनी प्रधान मंत्री के इन नीति-विषेयक उद्देश्यों का खास तौर से खंडन करने के लिए क्या हमारी सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमने उन की छानबीन की है। हम समझते हैं कि प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : चूंकि जनरल देगाल ने चीन की मान्यता दे दी है, विदेशों में यह धारणा हो गयी है कि जिन भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों ने स्वाधीनता प्राप्त की है उन का झुकाव भारत की अपेक्षा चीन की ओर अधिक है ? क्या इस में कोई सचाई है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह नहीं कहूंगा कि उनका झुकाव भारत की अपेक्षा चीन की ओर अधिक है। एक ने चीन को मान्यता दे दी है और दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वह भारत के खिलाफ दुश्मनी की कार्रवाई नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि ये देश चीन की ओर झुकने के बजाय चीन खुद अफ्रो-एशियाई देशों में नियंत्रण के कारण राजनयिक शिष्टाचार का लाभ उठा कर उन देशों को बाध्य कर रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह उस का जवाब कैसे दे सकते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : In view of Shri Chou-En-Lai recent tour of African countries, have Government of India thought over sending some Minister or any important person of similar status from here to those places?

Shri Dinesh Singh : Our men have also gone there from time to time. It is difficult to say anything about their status but people have gone there from here and they have talked to them and there has been a good result.

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Yashpal Singh : Those who are signatories to this question and who have given their names, must be given an opportunity to ask question.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है ।

अफ्रीकी देशों को भारतीय प्रतिनिधि मंडल

+

*२५८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गो० महन्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री कृष्ण पाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केनिया के स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल गया उसके सदस्य कौन-कौन थे ;

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने अन्य जिन अफ्रीकी देशों का दौरा किया उन देशों के नाम क्या हैं, और

(ग) प्रतिनिधिमंडल की गतिविधियों और सफलताओं का संक्षिप्त सार क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती श्री दिनेश सिंह) : (क) इन्दिरा गांधी, कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री दिनेश सिंह, और निदेशक श्री के० आर० पी० सिंह ।

(ख) ज़ंज़ीबार, न्यासालैंड, उत्तरी रोडेशिया और इथियोपिया ।

(ग) प्रतिनिधिमंडल का मख्य उद्देश्य था ज़ंजीबार और कीनिया के स्वतंत्रता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना । प्रतिनिधिमंडल के सदस्य तीन और देशों में, वहां की सरकार के बुलावे पर गए थे । उन्होंने उन देशों के साथ सम्बन्ध फिर से बनाए और सांझी दिलचस्पी के मामलों पर भारत के विचार बताए । उन्होंने उन मामलों पर भी पूरी तरह प्रकाश डाला, जिन में भारत को विशेष दिलचस्पी है । प्रतिनिधिमंडल को अपने विचार विमर्श से संतोष हुआ है और उसने यह देखा कि जिस देश में भी वे गए वहां भारत के प्रति बहुत सद्भावना थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को देखते हुए कि केनिया के स्वतंत्रता समारोह के लिए चीन तथा दूसरे एशियाई और यूरोपीय प्रमुख देशों ने बड़ी ऊंची हैसियत वाले व्यक्तियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, क्या कारण हैं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका इस देश में कोई स्थान नहीं है ? इस बात के अलावा कि प्रधान मंत्री उसके पिता हैं किन बातों और योग्यताओं के कारण उन्हें चुनने का निश्चय किया गया ? (अन्तर्बाधा)

श्री दिनेश सिंह : यह उस व्यक्ति के राजकीय पद का प्रश्न नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की बहुत सम्मानित नेता हैं और वह केनिया के प्रधान मंत्री सहित अन्य नेताओं के विशेष निमंत्रण पर वहां गयी थीं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इन समाचारों में कोई सचाई है कि प्रतिनिधि मंडल के नेता ने कुछ अफ्रीकी देशों के भारतीयों के प्रति उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति के संबंध में सहानुभूति व्यक्त करने और सलाह देने की बजाय उन के सम्मुख अपने बड़प्पन के ढंग और तरीके से भाषण किया ? यदि हां, तो क्या उन भारतीयों ने प्रतिनिधिमंडल के नेता के ऐसे भाषण के प्रति अपनी दुखद प्रतिक्रिया सरकार को बताई है ?

श्री दिनेश सिंह : भाषण देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। उन देशों के भारतीयों ने कई मामलों में उनकी राय मांगी और वह उन्होंने सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दी। हम समझते हैं कि उन की यात्रा का उन देशों के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार जानती है कि इस यात्रा से खासकर प्रतिनिधिमंडल के नेता के चुनाव से सभी अफ्रीकी देशों पर काफी प्रभाव पड़ा है खासकर जबकि भारतीयों ने इस चुनाव पर कृतज्ञता व्यक्त की है ?

दिनेश सिंह : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत : यही उचित उत्तर है।

श्री हेम बरुआ : वह दूसरे प्रश्न को रोकने के लिए था।

Shri Yashpal Singh : Will Government lay a statement on the table of the House giving the details of activities and success achieved there?

Shri Dinesh Singh : It is difficult to lay such statements regarding these details because it has such a long term effect in international affairs that it does not happen that we obtain the fruits of our present action immediately. I think hon. Member would be realising it and it is needless to repeat it here.

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री नाथ पाई : क्या अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दी जायगी ? यह प्रश्न अफ्रीका में भारत के चित्र के सम्बन्ध में है। हम अपनी जगह खड़े हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने यशपाल सिंह को बुलाया तब कोई नहीं खड़ा हुआ।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्री अथवा प्रधान मंत्री यह बता सकते हैं कि अफ्रीकी देशों में चीन और उसके नये मित्र पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध गलतफहमी और बुरे प्रचार के आन्दोलन के कारण,

उपनिवेशों के लोगों के मित्र के रूप में भारत का चित्र धूमिल हो गया है? यदि हां तो इसका खंडन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नाथ पाई : वह प्रतिनिधिमंडल वहां किस लिए गया था ? वह भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए ही तो गया था । क्या वह चैन करने के लिए गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ही० ना० मुकर्जी । मैंने दूसरा अनुपूरक प्रश्न पुकारा है ।

श्री ही० ना० मकर्जी : क्या प्रतिनिधिमंडल इस धारणा के साथ लौटा है कि केनिया और पूर्व अफ्रीका के भारतीयों की उनके भारतीय होने के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी नहीं है अर्थात् क्या नागरिकता के उनके अधिकार उन देशों के लोगों के अधिकारों जैसे ही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उस भारतीय प्रतिनिधि मंडल के बारे में है जोकि केनिया गया था ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं जानता हूं । क्या प्रतिनिधिमंडल इस धारणा के साथ वापस लौटा है कि वहां भारतीय अब अंधकार में नहीं हैं ? मुझे केनिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खबर मिली है कि वहां के लोगों के साथ उन के सम्बन्ध के बारे में जो कठिनाइयां पैदा हो गयी थीं वे उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे थे ।

श्री दिनेश सिंह : जब किसी देश में परिवर्तन होता है तब कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई गलत धारणाऐं हैं । पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय उद्भव के लोगों को कानून के मुताबिक नागरिकता दी गयी है और जिन लोगों को नहीं दी गयी है, उन्हें दूसरे नागरिकों के साथ समानता दी जायगी । वास्तव में उन देशों के नेताओं ने ऐसे वक्तव्य दिये हैं कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जायेगा ।

भारत-चीन सीमा पर चीनी सेनायें

\+

*२५९. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन सीमाओं पर चीनी सेनाओं का जमाव अब भी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में वह कितना-कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र के बारे में स्थिति बताना लोक हित में नहीं होगा ।

Shri Yashpal Singh : Have Government of India sent their troops upto Mac Mahon line and if not, by when they are going to do so ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : हम इस समय इस का विज्ञापन नहीं कर सकते कि हम इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। जो कुछ भी हम व्यवहार्य तथा आवश्यक समझते हैं वह कार्यवाही हम अवश्य कर रह हैं।

Shri Yashpal Singh : Have Government explained the position to the Colombo powers and have they tried to get the world opinion in their favour regarding this matter ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमने यह बात कोलम्बो राष्ट्रों को नहीं बताई है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चीनी सैनिक व्यवस्था का एक स्पष्ट चित्र सरकार के पास है जिसमें कि चीन अधिकृत लद्दाख के क्षेत्र में तथा पाकिस्तान द्वारा चीन को दिए गये काश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी चीन के हवाई मैदान सम्मिलित हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि इन सब से हमारे सामने खड़ी होने वाली धमकी का हमारी सरकार ने निश्चित ही बहुत ठीक मूल्यांकन कर लिया है।

श्री हेम बरुआ : इन क्षेत्रों के बारे में ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां। उन क्षेत्रों के बारे में ही।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : उत्तरी सीमाओं पर चीनी सैनिकों के जमाव के अतिरिक्त, क्या कोई ऐसी भी घटना हुई है जिसमें चीनी सेनाओं ने तथाकथित युद्धविराम रेखाओं को, जो कि उनकी एकपक्षीय युद्ध-विराम घोषणा के पश्चात् स्थापित की गई थीं, पार करके आक्रमण किया हो ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : तथाकथित विसैन्यीकृत क्षेत्र में उन्होंने अपनी कुछ चौकियां स्थापित कर ली हैं। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या चीनी सेनाओं के जमाव से सम्बन्धित चीनी कार्यवाहियों तथा इसके अन्यथा और भी चीनी कार्यवाहियों से कोलम्बो योजनाओं की भावना की स्पष्ट उपेक्षा नहीं हुई है और क्या उन्होंने ही कोलम्बो योजना को कुचल नहीं डाला है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसा किया है। माननीय सदस्य का विचार ठीक ही लगता है।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has stated in his reply that it will not be in the public interest to disclose the exact number. May I know the percentage of increase made since 1962 in the strength of army personnel stationed there ?

Shri Y. B. Chavan : I have already stated that there has been an increase in it and that we are trying to strengthen ourselves further more.

श्री त्यागी : क्या इस बीच सरकार ने हमारी ओर की सीमा पर कोई असैनिक प्रतिरक्षा संगठन स्थापित किया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम असैनिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, परन्तु सीमा पर की जनजातियों में से हम स्काउटों आदि को बनाने का प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को यह समाचार मिले हैं कि सीमा पर की चीनी सेनायें पाकिस्तानी सेनाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं तथा उन्हें साज-सज्जित कर रही हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमें ऐसा समाचार मिला तो है परन्तु मैं समझता हूं कि उसकी पुष्टि नहीं हुई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम उत्तर नहीं सुन सके ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं ने बताया है कि हमें ऐसे समाचार तो मिले हैं परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वे पक्के समाचार हैं ।

डा० मा० श्री अणे : क्या सरकार यह समझती है कि हमारी स्थिति इतनी दृढ़ है कि यदि चीनी सेनायें सहसा की आक्रमण कर दें तो हम प्रत्याक्रमण कर सकेंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि हां ।

श्री स्वैल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काश्मीर प्रश्न पर पाकिस्तानी रुख का चीन ने समर्थन किया है, क्या सरकार यह समझती है कि सीमा पर चीनी सैनिकों का यह जमाव भारत के विरुद्ध दूसरे आक्रमण का रूप भी धारण कर सकता है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम यह मानते हैं कि ऐसा सम्भव हो सकता है ।

श्री हेडा : क्या भारत सरकार ने भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के उन अनेक समाचारों को देखा है कि हमारी स्थिति कमज़ोर है और यदि यह धारणा सही नहीं है, तो भारतीय लोगों की इस धारणा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : क्या वह अपने प्रश्न को दुहरायेंगे ?

श्री हेडा : भारतीय समाचारपत्रों में समय समय पर जो अनेक समाचार प्रकाशित होते रहे हैं उनसे ऐसी धारणा बनती है कि सीमा पर चीन के मुकाबले में हमारी स्थिति कमज़ोर है । यदि यह धारणा सही नहीं है तो इसे निकाल दूर फैंकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने ऐसा कोई समाचार नहीं देखा जिसमें यह कहा गया हो कि हमारी स्थिति कमज़ोर है । मैं यह कह सकता हूं कि हमारी स्थिति कमज़ोर नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रतिरक्षा मंत्री के इस आशय के कथन को देखते हुए कि चीनियों ने कोलम्बो प्रस्तावों की उपेक्षा की है तथा उनका हनन किया है, क्या सरकार हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनी सैनिकों के जमाव को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझती है कि कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में दिये गये अपने प्रस्ताव को हम रद्द कर दें ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने यह तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने प्रस्तावों का हनन किया है । कोलम्बो प्रस्तावों का उल्लंघन उन्होंने निश्चय ही किया है ।

श्री रंगा : माननीय मंत्री ने डा० अणे को जो यह आश्वासन दिया है कि वह ऐसा समझते हैं कि हम किसी भी दुर्घटना का सामना करने के लिये पर्याप्त शक्तिशाली हैं क्या उसमें थोड़ी सी बात वह और जोड़ सकते हैं ? यदि चीनी लोग आगे और आक्रमण करने का इरादा करें तो जिस जिस प्रकार से भी प्रतिरक्षा की जानी है उससे सम्बन्धित सभी मामलों में क्या हम उस आक्रमण का सामना करने के लिये इस समय समर्थ और शक्तिमान हैं अथवा हमें इसके लिये और अधिक समय की आवश्यकता होगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : अधिक समय तो सर्वदा ही अच्छा है तथा आवश्यक है परन्तु यह मैं कह सकता हूं कि निश्चय ही हम काफी शक्तिशाली हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is the concentration of Chinese troops is confined to those places where it was in October, 1962 or it extends to other places also ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

श्री रंगा : हम उनका उत्तर नहीं समझ पाते हैं । या तो ध्वनि-यंत्रों में कोई गड़बड़ी है अथवा उनकी आवाज़ में ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में बहुत कानाफूसी हो रही है ।

श्री रंगा : जी, नहीं; ऐसा नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि वह जरा तेज़ आवाज़ में बोले ।

श्री त्यागी : मुझे इस बात का बहुत दुख है कि सीमा पर कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है । जो कुछ भी हो रहा है वह मैं जानता हूं । पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is the concentration of Chinese troops confined to those places where it was in October, 1962, or it extends to other places also ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वे उन्हीं स्थानों पर जमा हुए हैं जहां कि वह युद्ध-विराम के समय पर थे । मैं समझता हूं कि वे वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं ।

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है । ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा करने के लिये संगठित नहीं किया गया है । यह सच बात है । देश को धोखे में न रखा जाये ।

दिल्ली में दुकान कर्मचारियों को उपदान

+

*२६०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुकान कर्मचारियों को उपदान दिये जाने का उपबन्ध करने के लिये दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या उसे इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ग). कर्मचारियों के संघों की ओर से दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुए एक अभ्यावेदन पर दिल्ली प्रशासन के श्रम सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है जिसने कि इस प्रयोजन के लिये एक उपसमिति नियुक्त की है । इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) जी, हां ।

Shri Yashpal Singh : Is the question of laying down model service conditions under consideration of the Government ?

Shri R. K. Malviya : This question does not relate to model service conditions. It is regarding gratuity and I have replied to that.

Shri Yashpal Singh : May I know the main references made to the poor shop employees in the representation received from the shop owners?

Shri R.K. Malviya : Several things have been referred to therein, but this question relates to gratuity alone and it finds a place in the representation.

Shri Yashpal Singh : It has not been clarified as to whether Government are going to decide this question of gratuity.

श्री नम्बियार : इस बात को देखते हुए कि समस्त भारत के दुकान कर्मचारियों को उपदान देने के लिये दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार नये प्रस्ताव बनाने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि समस्त भारत के सभी दुकान कर्मचारियों को उपदान का लाभ मिल सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री नम्बियार : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने यह बताया है कि दिल्ली में उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यह मामला विचाराधीन है। इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री नम्बियार : क्या मंत्री महोदय को भी इस बारे में कुछ कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० सी० शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि दिल्ली दूकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, १९५४ कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण करने में बिलकुल ही निरर्थक सिद्ध हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस अधिनियम के अधीन कर्मचारियों के लिये क्या कुछ किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : इस अधिनियम द्वारा अनेक सुविधायें दी गई हैं, उदाहरणार्थ कार्य के घंटे, मजूरी का भुगतान, छुट्टियां, सेवा की शर्तें आदि के सम्बन्ध में। इसलिये इस अधिनियम से अधीन कर्मचारियों को लाभ होता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन कर्मचारियों को उपदान देने के सिद्धांत को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और क्या इस समय जिस मामले पर बातचीत की जा रही ह वह केवल इसकी मात्रा के सम्बन्ध में है और उपदान देने के सिद्धान्तों को स्वीकार करने के बारे में नहीं ?

श्री संजीवय्या : अभी तक हम ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली प्रशासन की श्रम सलाहकार समिति की एक उप समिति अभी तक इस प्रश्न पर विचार कर रही है और जब हमें उनकी सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी तो उन पर हम विचार करेंगे और इस सम्बध में यदि कोई विधान बनाने का हमारा विचार होगा तो हमें गृहकार्य मंत्रालय से भी परामर्श करना होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि बहुत से मामलों में इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है और क्या विभिन्न कर्मचारी संघों से उन्हें बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री संजीवय्या : जब भी कभी हमें अभ्यावेदन प्राप्त होंगे तो हम निश्चय ही उनकी जांच करेंगे।

मरमागाओं में नौसेना का अड्डा

+

*२६१. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री र० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागाओ में नौसेना के अड्डे को औपचारिक रूप से चालू करने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ख) क्या डेबोलिम में विमान केन्द्र बनाने का काम शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) गोआ की नौसेना प्रतिष्ठान "आई० एन० एस० गोमन्तक" के रूप में शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगी ।

(ख) जी, हां । विकास का प्रथम चरण मई, १९६४ तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है ।

श्री महेश्वर नायक : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा परिवहन मंत्रालय के बीच इस पत्तन को नौ सेना और असैनिक कार्यों के लिये बहुप्रयोजनीय पत्तन में बदलने के सम्बन्ध में कुछ विवाद था ?

श्री दा० रा० चह्वाण : परिवहन मंत्रालय के साथ कोई मतभेद नहीं है ।

श्री महेश्वर नायक : इस पत्तन को नौसैनिक पत्तन के रूप में बदलने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

श्री द० रा० चह्वाण : मैंने प्रश्नोत्तर में बताया है कि ७ मार्च, १९६४ से नौसैनिक पत्तन द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस पत्तन को पूर्ण असैनिक पत्तन के रूप में बदलने के स्थान पर जैसा कि मद्रास, बम्बई आदि दूसरे पत्तन हैं, क्या यह पत्तन हमारी नौ सेनाओं के लिये अड्डे के तौर पर भी होगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जी, हां ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : (ख) के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री ने कहा है कि डेबोलिम के हवाई अड्डे का काम तेज़ किया जा रहा है । वहां पहले से एक हवाई अड्डा है । इस समय किस प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : वर्तमान धावन पथों और टैक्सी मार्गों में सुधार किया जा रहा है ।

पहाड़ी डिवीजन

+

*२६२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री हेमराज

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी युद्ध डिवीज़न बनाने में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) घोषित नीति के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या पहाड़ी डिवीजन बनाने के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). एक पहाड़ी डिवीजन प्रायः तैयार है । शेष चार डिवीजन खड़े करने का काम योजना के अनुसार हो रहा है ; उनमें से तीन डिवीजन जुलाई, १९६४ तक तैयार होने की आशा है और चौथा दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक । सभी पांचों पहाड़ी डिवीजन इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायगे ।

(ग) और (घ). सरकार ने हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को बढ़ाने के लिये कई दूसरे कदम उठाये हैं । उठाने का विचार है । उनमें कुछ महत्वपूर्ण नीचे दिये जाते हैं :—

(१) दो स्काउट बटालियन खड़ी की जा रही हैं ।

(२) पैदल सेना, तोपखाना और आर्मी सर्विस कोर यूनिटों की संठनात्मक रचना में संशोधन किया जा रहा है ताकि सेना के प्रत्येक संगठन को यथासम्भव आत्म-निर्भर बनाया जा सके और वह पहाड़ी क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ हो सके ।

(३) सेना को समुचित रूप में संतुलित बल बनाने के लिये कुछ अतिरिक्त यूनिटें मंजूर की गई हैं ।

(४) कुछ विद्यमान पैदल टुकड़ी डिवीजनों का पहाड़ी डिवीजनों में पुनर्गठन करने का विचार है ।

(५) सेना मुख्यालय में सैनिक गुप्त सूचना निदेशालय मजबूत करने की व्यवस्था की गई है ।

(६) एक नवीन कमांड अर्थात् केन्द्रीय कमांड बना कर कमांड मुख्यालय का पुनर्गठन किया गया है ।

(७) हमारी सेनाओं को चीन के विरुद्ध अपेक्षित सैनिक कार्रवाइयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(८) सेना में स्वचालित राइफलों और उत्तम हथियारों का प्रचलन किया जा रहा है ।

(९) देशी उत्पादन बढ़ा कर और विदेशो से प्राप्त करके सेना में उपकरण की कमी को ठीक करने के लिये कदम उठाये गये हैं/उठाये जा र हैं ।

(१०) भारतीय विमान बल के परिवहन दस्ते को, अधिक विमान प्राप्ति के द्वारा बढ़ाया गया; ताकि सीमान्त क्षेत्रों में हमारी सेनाओं को सामरिक सहायता दी जा सके ।

(११) सीमा क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बढ़ाई गई है/बढ़ाई जा रही है ।

Shri Prakash Vir Shastri : While welcoming the efforts made by the Ministry of Defence for formation of mountain divisions, I want to know that in reply to (c) and (d) parts of the question details have been given with regard to certain steps taken, but no indication has been given in regard to military intelligence. What steps are being taken in this direction keeping in view our defence arrangements ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : नेफा जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए, कुछ पुनर्गठन किया जा रहा है ।

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated in the statement that our infantry divisions are proposed to be converted into mountain divisions. When final decision is likely to be taken in the matter ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमने एक डिवीजन को पहाड़ी डिवीजन में बदलने का निर्णय किया है और समूचा कार्यक्रम इस वर्ष की समाप्ति तक पूरा हो जाएगा ।

Dr. Govind Das : The Minister has stated just now that question of its reorganisation is being considered in the light of these recommendations. May I know the nature of the recommendations and the objectives of the reorganisation ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : ये बातें बतलाई नहीं जा सकतीं ।

श्री हेम बरुआ : इस बात की दृष्टि से कि इन सैनिक डिवीजनों को खड़ा करने की गति अत्यधिक धीमी है, क्या सरकार ने प्रशिक्षण के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्रवाई की है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : डिवीजन खड़ा करने में बहुतेरे काम करने पड़ते हैं । सबसे पहले हमें पैदल सेना खड़ी करनी पड़ती है । यह अत्यन्त महत्व का काम है और यह पूरा हो चुका है । परन्तु आदमी जुटा लेने से ही डिवीजन खड़ा नहीं हो जाता । यह अपेक्षित उपकरण प्राप्त करने का प्रश्न है, जिसे हमें सहायता आदि के रूप में अन्य देशों से लेना पड़ता है ।

श्री हेम बरुआ : प्रशिक्षण के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : पैदल सेना का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है । परन्तु प्रशिक्षण में प्राप्त होने वाले उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी शामिल होता है ।

श्री त्यागी : डिवीजन खड़ा करने में, क्या स्थानीय, पहाड़ी लोगों को अधिमान दिया जाता है अथवा अन्य लोगों को उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिये वहां भेजा जाता है ? मेरा अभिप्राय स्थानीय लोगों से है, जो मार्गों आदि से परिचित होते हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : स्थानीय लोग डिवीजनों में निश्चय ही होते हैं, किन्तु मैं नहीं कह सकता कि उनको अधिमान दिया जाता है । उनके मार्गों आदि की जानकारी लेना पृथक् काम है ।

श्री स्वैल : मंत्री जी ने बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों से स्थानीय लोगों की भरती के मामले में अधिमान नहीं दिया जाता हालांकि स्वभावतः और शारीरिक दृष्टि से वे उस पहाड़ी क्षेत्र के लिये अधिक अभ्यस्त होते हैं । प्रतिरक्षा मंत्री बताने की कृपा करें कि उनको अधिमान क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : डिवीजनों में उनको अपना स्थान मिलता है । मैंने यही कहा है कि मैं यह नहीं कह सकता कि उनको अधिमान दिया जाता है, परन्तु वे विभिन्न किस्मों के स्काउट

हो सकते हैं। श्री त्यागी जी असैनिक प्रतिरक्षा के बारे में कह रहे थे। असैनिक प्रतिरक्षा सेना का उत्तरदायित्व नहीं होता। परन्तु सेना के उपयोग के लिये अपेक्षित स्काउट भरती किये गये हैं और वे स्थानीय पहाड़ी आदिम जातियों के हैं (**अन्तर्बाधायें**)।

श्री रंगा : क्या यथासंभव ऐसी अधिक वस्तुओं के निर्माण को अग्रता दी जा रही है—जिनकी इन डिवीजनों को समुचित तरीके से सुसज्जित करने के लिये जरूरत होती है। वे सैनिक या प्रतिरक्षा उत्पादन की कुल मात्रा को बढ़ा रहे हैं। उसमें भी क्यों परम आवश्यक उपकरण को, जिसकी बड़ी भारी जरूरत होती है, अग्रता दी जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां।

श्री महेश्वर नायक : पहाड़ी डिवीजनों को स्वचालित हथियारों से सज्जित करने के लिये क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है ? क्या स्वचालित हथियार बनाने के लिये कोई निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री हेम राज : क्या हमें अमरीका तथा इंगलिस्तान द्वारा प्रतीक्षित सभी उपकरण मिल रहा है या नहीं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमें अनुसूची के अनुसार उपकरण मिल रहा है।

Dr. L.M. Singhvi : Does the minister of Defence consider this programme sufficient in connection with mechanisation, Ammunition and size of the Military, the details of which have been placed on the table of the House ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इसे पर्याप्त समझता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं संख्या, यांत्रिकी शस्त्रास्त्रों और आकार के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं कहूंगा कि हां।

श्री हरि विष्णु कामत : यूरोप तथा अमरीका के किन देशो ने पहाड़ी युद्ध विद्या के लिये हमारे सैनिको के लिये प्रशिक्षण तथा उपकरण के मामले में सहायता की पेशकश की है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं अमरीका और इंगलिस्तान ने।

श्री हरि विष्णु कामत : युगोस्लाविया ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी नहीं।

इंजीनियरी उद्योग के लिए मंजूरी बोर्ड

+

*२६३. **श्री नाथ पाई** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी उद्योगों की जांच करने के निमित्त पहले नियुक्त किये गये अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ग) इंजीनियरी उद्योग के लिये प्रस्तावित मजूरी बोर्ड कब नियुक्त किया जाएगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) : (क) से (ग). अध्ययन दल का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। इंजीनियरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर, अध्ययन दल के निष्कर्ष प्राप्त होने पर, विचार किये जाने का विचार है।

श्री वारियर : अध्ययन-दल कब तक प्रतिवेदन पेश कर देगा और उसके कितनी देर बाद सरकार मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री र० कि० मालवीय : अध्ययन दल का तिवेदन दो या तीन महीनों में मिलने की आशा है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या अध्धयन दल जिन बडे उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने का विचार कर रहा है उस में छोटे उद्योग भी आएंगे ?

श्री र० कि० मालवीय : इसीलिये तो अध्ययन दल बनाया गया है। यह इंजीनियरी उद्योग के सभी पहलुओ पर विचार कर रहा है और इसमें छोटे तथा बड़े वर्गों को सम्मिलित करने का प्रयत्न है।

Shri Sheo Narain : I want to know the number of members of the Study Group and whether there are any Members of Parliament in it?

Shri R. K. Malviya : Study Group is constituted by officers, specialists and representatives of State Governments. Its convenor is Deputy Secretary of the Ministry of Labour Deputy Secretaries of the Ministry of Industry, Ministry of Heavy Engineering and Department of Technical Development, Labour Commissioners of Madras, Maharashtra and Bengal are members of the Study Group.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंजीनियरी उद्योग की ओर विशेष कर छोटे पैमाने के स्तर पर, मजूरी के मामले में, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो क्या इस सिफारिश में छोटे एकक भी शामिल किये जाएगे ?

श्री र० कि० मालवीय : मैंने अभी उत्तर दिया है कि सभी एककों का विचार किया जा रहा है। इसी कारण विलम्ब हुआ है। केवल बडे इंजीनियरी वर्गों या विशिष्ट इंजीनियरी उद्योगों का प्रश्न होता, तो हमें मजूरी बोर्ड स्थापित करने में कोई कठिनाई न होती ?

श्री नाथ पाई : यह लम्बी सूची है जो उन्होंने दी है। उसमें केन्द्रीय कार्मिक संघ का कोई तिनिधि नहीं है। किसी एक केन्द्रीय कार्मिक संघ का इतने बड़े महत्वपूर्ण निकाय में एक प्रतिनिधि रखने का क्यों प्रयत्न नहीं किया जाता ?

श्री रा० कि० मालवीय : सभी केन्द्रीय कार्मिक सघों, विशेषत: आई० एन० टी० यू० सी, ए० आई० टी० यू० सी० तथा हिन्द मजदूर संघ से परामर्श किया गया था और उन्होंने अपने साक्ष्य दिये हैं। हिन्द मजदूर संघ ने एक वक्तव्य दिया है ; उनका प्रतिनिधि साक्ष्य देने को उपस्थित नहीं हो सका। **(अन्तर्बाधा)**

श्री श्यामलाल शर्राफ : क्या इस अध्ययन में सभी स्तरों पर उद्योग की हालतों का अध्ययन किया जायेगा और उद्योग के विविध स्तरों के बारे में भी विचार होगा ? क्या इन सब पहलुओं का अध्धायन इस दल के द्वारा किया जाएगा ?

श्री र० कि० मालवीय : जी हां। मजूरी ढांचे पर मजरी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। यह अध्ययन दल केवल यह विचार करने के लिये स्थापित है कि आया एक मजूरी बोर्ड हो या दो या तीन इंजीनियरी उद्योग विविध स्वरूप को देखते हुए।

इलैक्ट्रोनिक्स फैक्टरी, हैदराबाद

\+

*२६४. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सेझियान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री कोया :
श्री राम पुरे :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पांण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में क्षेप्यास्त्रों के 'इलैक्ट्रानिक' पुर्जों की प्रस्तावित फैक्टरी के परियोजना प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) फक्टरी द्वारा कब उत्पादन आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) क्षेप्यास्त्रों के इलेक्ट्रानिक पुर्जों के निर्माण के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम रूसी विशेषज्ञों की सहायता के साथ शीघ्र ही आरंभ किया जायगा।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही अनुमान किया जा सकता है।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या किन्हीं विशिष्ट कारणों से, विशेषज्ञ समिति इस परियोजना को तैयार करने में कठिनाई अनुभव करती है, जिन के बारे में वह बहुत देर से विचार कर रही है ?

श्री रघुरामैया : हमारे पास तीन परियोजना प्रतिवेदन आये हैं, एक हवाई ढांचे के बारे में, एक इंजिन के बारे में और तीसरी इलेक्ट्रानिक उपकरण के बारे में जो विमान के अन्दर जाता है। यह परियोजना प्रतिवेदन विशेष भारत में रूसी विशेषज्ञों के आने पर तैयार की जायगी, जिन के शीघ्र आने की आशा है ?

श्री नि० रं० लास्कर : रूस के साथ हमारा करार मिग २१ के लिये है। इस क्षेत्र में नवीन उन्नति होने के कारण, क्या रूस की सरकार से कोई प्रार्थना की गई है ताकि हमें नवीनतम विमान मिल सके ?

श्री रघुरामैया : हमने अपनी आवश्यकताओं का अनुमान संकट काल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए लगाया है और हमने रूस से कुछ परिवर्तन करने की प्रार्थना की है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बैया : किस मात्रा तक राज्य सरकार ने भूमि प्रबन्ध कर के और अन्य सुविधाओं के द्वारा हैदराबाद में यह फैक्टरी स्थापित करने के लिए सहयोग देने की पेशकश की है ?

श्री रघुरामैया : राज्य सरकार ने हमें आवश्यक भूमि तथा अन्य सुविधायें देना स्वीकार कर लिया है ।

Shri Sheo Narain : May I know the total estimate of the cost of setting up of the factory ?

श्री रघुरामैया : जब तक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते--संभवतः वह हैदराबाद फैक्टरी का उल्लेख कर रहे हैं जिससे यह प्रश्न सम्बन्धित है--कोई अनुमान नहीं दिया जा सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या वास्तविक उत्पादन के बारे में कोई अन्तिम अनुमान लगाया गया है या अनुमानित उत्पादन के बारे में जब इस फैक्टरी के द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने पर किया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : परियोजना प्रतिवेदन कुछ धारणाओं पर आधारित है और जब तक उसका अन्तिम रूपेण विश्लेषण नहीं किया जाता और राज्य सरकार द्वारा मंजूर नहीं कर लिया जाता, कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिये जा सकते ।

श्री वारियार : क्या सरकार विशेषज्ञों को असैनिक निर्माण के लिये अथवा केवल निर्माण पक्ष के लिये ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कह रही है ?

श्री रघुरामैया : परियोजना प्रतिवेदन में असैनिक निर्माण तथा मशीनरी अंश दोनों शामिल हैं ।

टैंकों का निर्माण

+

*२६५. **श्री हेम राज :**
श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जेधे :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हल्के टैंक बनाने के प्रस्ताव पर फ्रांसीसी दल से बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). फ्रांसीसी दल के साथ प्रारम्भिक चर्चा १ नवम्बर १९६३ में की गई थी और उसके आधार पर फ्रांस का एक तकनीकी मिशन इस वर्ष जनवरी में भारत आया और उसने हाल में ही देश का अब औद्योगिक सर्वेक्षण पूरा किया है। इस दल के साथ अग्रेतर बातचीत की जा रही है। अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

मैं यह भी बता दूं कि तब से हमें विकर्स-आर्मस्ट्रांग से भी हल्के टैंक के विकास के बारे में पेशकश प्राप्त हुई है।

श्री हेम राज : क्या पहली बात के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ? बाद की बात का वर्णन किया गया है। क्या यह पहले वाले के सम्बन्ध में होगा या बाद वाले के सम्बन्ध में ?

श्री रघुरामैया : जब तक मामले पर विचारपूर्ण नहीं हो जाता और जब तक हमें दोनों से संगत आंकड़े नहीं मिल जाते, अन्तिम निर्णय करना संभव नहीं, किन्तु हम इस को जल्दी से जल्दी करने के लिये उत्सुक हैं।

श्री हेम राज : इस परियोजना की अनमानित लागत क्या होगी ?

श्री रघुरामैया : जब तक योजना मंजूर नहीं हो जाती और परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं हो जाता कुछ अनुमान नहीं किया जा सकता।

श्रीमती मैमूना सुल्तान : इन टैंकों के निर्माण की डिजाइन क्षमता क्या होगी और इसकी हमें कितनी आवश्यकता होगी और उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री रघुरामैया : यह हल्का टैंक है और मुझे विश्वास है कि डिजाइनों के बारे में सभा नहीं जानना चाहेगी।

Dr. Govind Das : Could tanks not be manufactured in the Government Gun Carriage Factory, Jabalpur, where Shaktivahan trucks are manufactured ?

रघुरामैया : जैसाकि हम ने कई बार सभा को बताया है, यह स्थान तकनीकी दल के द्वारा रूसी सहायता के साथ इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद चुना गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या अवादी में फैक्टरी स्थापित करने का सरकार का निर्णय अन्तिम है और क्या फैक्टरी स्थापित करने की दिशा में कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री रघुरामैया : हमें आशा है कि इसे अवादी में स्थापित करना संभव हो सकेगा और हम उस दृष्टि से इस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Have negotiations been held with any other country part from France for the manufacture of tank.

श्री रघुरामैया : मैं पहले बता चुका हूं कि तब से हमें हल्के टैंक के विकास के लिये विकर्सआर्मस्ट्रांग इंगलिस्तान से एक पेशकश आई है

पीकिंग में भारतीय राजदूत

\+

*२६६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श० न० चतुर्वेदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में भारत के राजदूत का पीकिंग हवाई अड्डे पर किसी भी चीनी अधिकारी द्वारा स्वागत नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस से राजनयिक प्रथा का कितना उल्लंघन हुआ है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई विरोध पत्र भेजा है ; और

(घ) चीनी राजदूतों का स्वागत करने के सम्बन्ध में भारतीय प्रथा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां, यह सच है कि जब चीन में भारतीय कार्यकारी राजदूत पीकिंग पहुंचे तो किसी भी चीनी अधिकारी द्वारा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नहीं किया गया था ।

(ख) भारत के कार्यकारी राजदूत के पीकिंग पहुंचने से पहले ही चीनी वैदेशिक-कार्य कार्यालय ने भारतीय राजदूतावास के प्रथम सचिव को सूचना दे दी थी कि पीकिंग में नया राजनयिक मिशन खोलने के लिये जब कोई कार्यकारी राजदूत पीकिंग पहुंचता है तो तभी उसका स्वागत किया जाता है । पहले भेजी गई इस जानकारी को देखते हुए राजनयिक प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारतीय प्रक्रिया यह है कि पहली बार आने पर सभी राजदूतों/उच्चायुक्तों का स्वागत किया जाये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस आधार पर कि चीनी हमारे देश के विरुद्ध हैं तो सरकार किन कारणों से चीन अथवा मिश्र के हमारे प्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछती है कि चीनी प्रधान मंत्री के सम्मान में दिए गए भोज में क्या वह लोग शामिल हुए थे तथा सरकार ने उनको ऐसा करने की अनुमति क्यों दी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । तीन माननीय सदस्यों को एक साथ उठ कर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ।

श्री नाथ पाई : मैं यह नहीं समझ पाया कि उनको क्यों अनुमति दी गई ? प्रश्न सुझाव किस प्रकार बन गया ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम कारण जानना चाहते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है हम उससे संतुष्ट हैं ।

श्री रंगा : आप क्यों संतुष्ट हैं ?

श्री नाथ पाई : आप किस प्रकार संतुष्ट हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : प्रश्न हमारे कार्यवाहक दूत के पीकिंग में पहुंचने पर स्वागत करने के सम्बन्ध में था । मैं बता चुकी हूं कि उनके पहुंचने से पहले ही चीनी विदेशी कार्यालय ने हमें बता दिया था कि उनके यहां ऐसी प्रथा नहीं है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । श्रीमान, मेरा औचित्य प्रश्न है कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है । मैंने पूछा था कि किन कारणों से सरकार ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को चीनी प्रधान मंत्री के सम्मान में दिये गए भोज में जाने की अनुमति दी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसीलिए कहा था कि यह सुझाव है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा निवेदन ह कि यह सुझाव तभी हो सकता है जब भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में हो । मैं तो भूतकालके बारे में पूछ रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से सरकार ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों की चीनी प्रधान मंत्री के सम्मान में दिये गए भोज में जाने की अनुमति दी थी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि चीनी प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भोजों में भारतीय राजनीतिज्ञ नहीं गए थे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम समझे नहीं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जब आतिथ्य देशों ने भोज दिए तब हमारे राजनीतिज्ञ वहां थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : गत वर्ष जब पीकिंग में चीन-पाकिस्तान आक्रमण का समारोह हुआ था तब हमारे राजदूत उसमें सम्मिलित हुए थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि इस सभा में प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि चीन द्वारा पाकिस्तान को पीकिंग में दिए गए भोज में हमारे कुछ राजनीतिज्ञ वहां गये थे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने तो नवीनतम स्थिति बताई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को आशा है कि इस सज्जनता तथा धीरज के द्वारा चीन का मन बदला जा सकता है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार का यह मत नहीं है कि कठोर भाषा का प्रयोग करक आप स्थिति सुधार सकते हैं । वर्तमान स्थिति

श्री हरि विष्णु कामत : यह कठोर भाषा नहीं है। आपकी नीति दुर्बल है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य इसको उदार भाषा समझ सकते हैं परन्तु है यह कठोर भाषा ही। वर्तमान स्थिति यह है कि जहां कहीं भी श्री चाउ-एन-लाई जाएं वहां पर उनको जो भोज दिया गया उसमें हमारे प्रतिनिधि थे। परन्तु चीनी दूतावास ने जो भोज दिया उसमें हमारे प्रतिनिधि नहीं थे।

श्री रंगा : हमें प्रसन्नता है कि आपने ऐसा रवैया अपनाया :

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य धीरज तथा सज्जनता की बात कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि यह तो राजनीतिक प्रथा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या भूतकाल में ऐसा हुआ है कि पीकिंग के राजदूत के आने पर उनका हवाई अड्डे पर स्वागत नहीं किया गया ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं भाग (क) में बता चुकी हूं कि भारतीय प्रथा के अनुसार सभी राजदूतों तथा उच्च युक्तों का पहली बार आने पर स्वागत किया जाता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जैसा उन्होंने किया हमने भी वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं किया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उनके जैसा व्यवहार हम कब करते ?

श्री रंगा : मेरा सुझाव है कि कृपया प्रधान मंत्री बैठकर ही उत्तर दें।

श्री नाथ पाई : प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि हमारी सीमा पर चीन द्वारा बहुत बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बिना विभाग के मंत्री ने भाषण दिया जिसमें बताया गया कि भारत सरकार की नीति में परिवर्तन आ गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है।

श्री नाथ पाई : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या चीनी जानबूझ कर ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे कार्यवाहक दूत सरकार के प्रतिनिधि हैं। उनके साथ ऐसा किया गया। परन्तु हमारे यहां श्री शास्त्री के भाषण से पता लगता है कि हमारी नीति कुछ उदार हो गई है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने इतने आरोप लगा दिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इतनी धारणायें बना ली हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे दूतावास को पहले ही बता दिया गया था। इसलिए हम जानबूझ कर की गई अवहेलना नहीं मानते हैं। बिना विभाग के मंत्री द्वारा कही बातों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कृपया वह उनके भाषण को सावधानी से पढ़ें। उनको मालूम हो जायेगा कि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या भारतीय दूतावास के कार्यवाहक दूत अथवा प्रथम सचिव चीनी सरकार द्वारा दिए स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक मानते हैं। क्या उनका विचार है कि पीकिंग में अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसा ही है।

बेरूबाड़ी

\+

*२६७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कछवाय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुबाड़ी का संयुक्त सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) क्या इस पर पाकिस्तान के साथ सर्वसम्मत समझौता हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : सीमा पर हाल की गड़बड़ी तथा पाकिस्तान के रवैये के आधार पर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार अपने निर्णय को बदलेगी और उन लोगों तथा वहां की जनता का और अधिक संहार होने देगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मामला न्यायालय में है क्योंकि वहां की जनता ने अपील की है। मैं इस पर अभी चर्चा उठाना ठीक नहीं समझती।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय में है।

श्री स० मो० बनर्जी : सामान्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। पाकिस्तान के गलत रवैये के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अपनी नीति बदलने जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बता चुकी हैं कि मामला न्यायालय के सामने है। आप कोई और प्रश्न पूछें।

श्री स० मो० बनर्जी : वह निर्णय ले चुके हैं। पाकिस्तान के रवैये के परिवर्तन के कारण क्या वह नीति में परिवर्तन करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर उच्च-न्यायालय के निर्णय के बाद निश्चय किया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : बेरुबाड़ी के विभाजन के बारे में हमने निर्णय ले लिया है। निर्णय बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

लाओस से भारतीय सेना का वापस बुलाया जाना

*२६८. **श्री नम्बियार :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विएतनाम और लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के साथ काम कर रहे हमारी सशस्त्र सेना के दस्तों को वापस बुलाने का सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वापस बुलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत मे चीनी दूतावास

*२६९. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चीनी दूतावास द्वारा देश में संयुक्त चीनी अलबानिया विज्ञप्ति निर्बाध रुप से परिचालित की जा रही है जिसमें केवल भारत विरोधी प्रचार सामग्री ही नहीं है, अपितु भारत के कई मित्र देशों पर भी कलुषित टीका टिप्पणी है; और

(ख) इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चीन अलबानिया संयुक्त विज्ञाप्ति जो चीन गणतन्त्र के दूतावास के सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रचार बुलेटिन में प्रकाशित हुई हैं चीन के दूतावास के द्वारा बांटी गई है।

(ख) चीन दूतावास के प्रथम सचिव को बुलाया गया और उसे सूचित किया गया कि भारत सरकार अपनी सामान्य नीति के अनुसार भारत के मित्र अन्य देश के विरुद्ध आलोचना का आन्दोलन चलाने में चीनी दूतावास को प्रदान की गई अनुमति के दुरुपयोग को ठीक नहीं समझती। चीन के दूतावास को चीन-अलबानिया संयुक्त विज्ञप्ति का अधिक वितरण करने से रोकने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली में चीनी दूत

*२७०. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जेधे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री पें० वेंकटा सुब्बैया :
श्री कछवाय :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि २६ जनवरी, १९६४ को राजपथ पर गणतन्त्र दिवस परेड के अवसर पर चीनी कार्य दूत राजनयिक प्रतिनिधियों के बैठने के स्थान (डिप्लोमेटिक एन्क्लोज़र) से उठ कर बाहर चले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने ऐसा करने के कोई कारण बताये थे ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) चीन के कार्यकारी राजदूत ने राष्ट्रपति द्वारा दिये गये पदकों के अवसर पर पढ़े गये लेखों में वीरता पूर्ण कामों के उल्लेख के बारे में मौखिक विरोध किया।

(ग) सरकार ने चीन के कार्यकारी राजदूत के मौखिक विरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे तत्काल सख्ती के साथ नामंजूर कर दिया। यह सर्वविदित था कि गणतन्त्र दिवस की परेड आरम्भ होने से पहले लेख पढ़े जाएंगे और आमन्त्रित व्यक्तियों को बांटे गये छपे हुए कार्यक्रमों में भी इसका उल्लेख था। चीनी कार्यकारी राजदूत यदि चाहते तो उत्सव में न आते।

शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारी

*२७१. डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले की जांच कर ली है जिसमें उन्होंने यह आदेश दिए हैं कि शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन नहीं आयेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के संबंध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।

युद्ध-पोत

*२७२. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्टु :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जेघे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से युद्ध-पोत बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) किस प्रकार के युद्धपोत बनाये जायेंगे ; और

(ग) इस समय किन फर्मों के साथ बातचीत चल रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) "फ्रिगेट"।

(ग) सहयोग संबंधी दो विशिष्ट पेशकश आईं और सरकार ने उन पर विचार किया। एक इंगलैण्ड से थी और दूसरी स्वीडन से। निर्माण के लिये सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करने की संभाव्यता की जांच की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन

*२७३. **श्री हरिविष्णु कामत :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श० न० चतुर्वेदी :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री केप्पन :
श्री स्वैल :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री शशिरंजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ नवम्बर, १९६३ से ३१ जनवरी, १९६४ तक की अवधि में पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा के उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं तथा वह युद्ध जैसी तैयारियां करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). १-११-६३ से ३१-१-६४ की अवधि में अनधिकृत प्रवेश से भिन्न, भारतीय क्षेत्र में, (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर) पाकिस्तान द्वारा घुस आने का एक आरोपित मामला आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा के लुभाचेरा क्षेत्र में हुआ ।

९ दिसम्बर, १९६३ को देखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैन लुभाचेरा में हमारी सीमा के अन्दर घुसने तथा लगभग २००/३०० गज तक खाइयों में बैठने का प्रयत्न कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान राइफल मैनों तथा हमारी सीमा सुरक्षा सेना के बीच गोली चली। अन्ततोगत्वा, २६ दिसम्बर, १९६३ को दोनों पक्षों के क्षेत्रीय कमांडरों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैन, उस अतिक्रमण से पहले की अपनी मूल स्थिति तक पीछे हट गये ।

पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिस में पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारतीय क्षेत्र में घुस आये हैं और इस अवधि में उन्होंने पशु चुराने, चोरी करने और डकैती करने आदि के कुकृत्य किये हैं। परन्तु उनका अभिप्राय भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण करना या उस पर कब्जा करना नहीं है ।

राजशाही में भारत के सह-उच्चायुक्त का कार्यालय

*२७४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो काम पूर्व-पाकिस्तान के राजशाही में भारत के सह-उच्चायुक्त के कार्यालय में होता था उसे करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : पाकिस्तान सरकार द्वारा राजशाही में सह-उच्चायुक्त का कार्यालय बन्द होने के बाद पास पोर्ट तथा बीसा से मुख्यतः संबंधित काम ढाका स्थित उप-उच्च आयुक्त को सौंप दिया गया है ।

देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा

*२७५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी देशी भाषाओं के समाचारपत्रों को और अखबारी कागज का आवंटन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि यदि हां, तो नई नीति की घोषणा कब तक हो जाने की आशा है ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) जब और अखबारी कागज़ उपलब्ध हो जायेगा ।

राणा प्रताप सागर में आण्विक बिजली घर

*२७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राणा प्रताप सागर में २०० मैगावाट का आण्विक बिजली घर बनाने के लिये भारत तथा कनाडा के बीच सहयोग के दो करार हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की त्रियान्विति के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां । एक करार भारत तथा कनाडा की सरकारों के बीच है और दूसरा भारत तथा एटोमिक एनर्जी आफ़ कनाडा लिमिटेड के बीच ।

(ख) स्टेशन के व्यय के विदेशी मुद्रा के भाग के ऋण के लिये कनाडा के निर्माण ऋण बीमा निगम के साथ एक वित्तीय करार तथा दो इंजीनियरी सलाहकारिता करार, एक अणु-शक्ति के लिये तथा दूसरा स्टेशन की अणुशक्ति से भिन्न भाग के लिये, शीघ्र ही सम्पन्न हो जाएंगे । राणा प्रताप सागर के स्थान पर प्रारंभिक काम चालू है ।

बोनस आयोग

*२७७. श्री यशपाल सिंह :
श्री श्री नारायण दास :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सरजू पांडेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री केप्पन :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० सारादीश राय :
श्री हेम बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन के मख्य विचार तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० के० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

पंजाब कपड़ा मिलों में श्रम कल्याण अधिकारी

४८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वे कौन कौन सी कपड़ा मिलें हैं जिन्होंने अभी तक श्रम कल्याण अधिकारी नहीं रखे हैं ; और

(ख) मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ४९ के अन्तर्गत केवल उन कारखानों के लिये ही कल्याण अधिकारी रखना आवश्यक है जिन में ५०० या अधिक मज़दूर काम कर रहे हों। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि ऐसी कोई मिल नहीं है जिस में कल्याण अधिकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को रोजगार

४८७. **श्री दलजीत सिंह : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ को पंजाब के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ख) १९६३ में कितने व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) :

श्रेणी	३१-१२-६३ को चालू रजिस्टर में आवेदकों की की संख्या	१९६३ में रोजगार दिलाये गये आवेदकों की संख्या
अनुसूचित जातियां	१५,८०२	९,०६३
अनुसूचित आदिम जातियां . . .	२६	२३

गंजम में "रेडियो एक्टिव" खनिज

४८८. **श्री पू० चं० देवभंज : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बरहामपुर (जिला गंजम) के निकट 'रेडियो एक्टिव' खनिजों के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) सरकार उड़ीसा के गंजम जिला में बरहामपुर के समीप रेडियो एक्टिव खनिजों के किसी विशेष निक्षेपों से अवगत नहीं है, परन्तु उसी जिले में चत्रपुर के समीप मोनाजाइट वाली भारी खनिज रेत, इलमेनाइट, मैगनेटाइट, सिलीमेनाइट, गारनेत, ज़िरकान, रूटाइल आदि के निक्षेपों का पता चला है । इस क्षेत्र में रेत में मोनाजाइट के अंश की मात्रा ०.१ से ०.७ प्रतिशत तक है ।

पश्चिमी बंगाल में सीमावर्ती सड़कें

४८९. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने पश्चिमी बंगाल में किसी सीमावर्ती सड़क के निर्माण तथा संधारण का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) क्या उनका ध्यान पश्चिमी दिनाजपुर की सड़कों की खराब हालत की ओर दिलाया गया है जो पश्चिमी पाकिस्तान को जाती हैं ; और

(ग) क्या उन सड़कों को सुधारने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) कुछ सड़कों को मिलाने वाले मार्गों को जिनका कि पश्चिमी बंगाल से मिलने वाले आगे के इलाकों में निर्माण हो रहा है, निर्माण/सुधार के बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल किया गया है । निर्माण और सुधार क्रमश: ५६ और ४४ मील का किया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

४९०. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारियों पर इसके लाभ का क्षेत्र विस्तृत करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २३८६/६४]**

जवानों के लिए भूमि

४९१. **श्री धवन :**
श्री बिशन चन्द सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जवानों अथवा उनके परिवारों को भूमि देने के संबंध में बिहार, नेफा तथा अंडमान और निकोबार सरकारों द्वारा दी गई योनाओं पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये ;

(ग) कितने राज्यों ने अभी तक जवानों के परिवारों को भूमि दी है; और

(घ) कितने जवानों के परिवारों को अभी तक कोई भूमि नहीं दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) बिहार सरकार तथा नेफा और अंडमान और निकोबार प्रशासनों द्वारा दी गई योजनाओं पर अभी भी संबंधित प्राधिकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न राज्यों तथा प्रशासनों द्वारा जवानों के परिवारों को भूमि देने के ब्योरे इकट्ठे किये जायेंगे और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

चीन पाकिस्तान प्रतिरक्षा समझौता

४९२. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** २ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और पाकिस्तान के बीच आपसी प्रतिरक्षा समझौते के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संक्षेप में क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी का समाचार विभाग

४९३. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात की घोषणा के समय से अब तक आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप-निदेशकों के कितने नये पद बनाये गये हैं और उनमें से कितने भरे गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ का काम लगभग वही है जो कि पहले समाचार संपादकों द्वारा किया जा रहा था; और

(ग) यदि हां, तो इस आपात के समय में उच्चतर श्रेणी के पदों को बनाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) १ मार्च, १९६३ से उपनिदेशकों के चार पद बनाये गये थे। सभी पद भर लिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेफा के लिये प्रचार योजना

४९४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष देश के व्यक्तियों के साथ नेफा के लोगों की भावात्मक एकता बढ़ाने के लिये कोई नई प्रचार योजना चालू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). है ऐसी कोई नई योजना तो नहीं है परन्तु शेष देश के साथ नेफा की भावात्मक एकता को प्रचार और अन्य उपायों द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की पांच क्षेत्र प्रचार टुकड़ियों ने हाल ही में क्षेत्र का दौरा किया है। १५ फिल्म प्रोजेक्शन यूनिट देश के अन्य भागों के बारे में जानकारी देते हैं और भावात्मक एकता पर एक विशेष फिल्म तैयार की जा रही है। २२९ सामुदायिक रेडियो सेट नेफा में लगाये गये हैं और प्रतिदिन आकाशवाणी से नेफा की बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं जो भावात्मक एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। नेफा और आसाम के बीच सांस्कृतिक दलों और सद्भावना मिशनों का भी आदान-प्रदान हुआ है।

विदेशी भाषाएं प्रशिक्षण स्कूल

४९५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का विदेशी भाषाएं प्रशिक्षण स्कूल भाषा के प्रशिक्षण में लगभग ३ वर्ष लेता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नवीनतम तरीकों का अपनाये जाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे कि इस कालावधि को कम किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विदेशी भाषाओं के स्कूल में निम्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिये जाते हैं :—

(१) प्राथमिक पाठ्यक्रम—१२ मास

(२) उच्च पाठ्यक्रम—१८ मास

(३) दुभाषिया पाठ्यक्रम—१८ मास से २६ मास तक

दुभाषिया पाठ्यक्रम एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसकी कालावधि संबंधित भाषा की भीतरी कठिनाई के अनुसार चलती है। विद्यार्थी प्राथमिक और उच्च पाठ्यक्रमों का अध्ययन किये बिना ही दुभाषिया पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं।

(ख) जहां तक सम्भव होता है विदेशी भाषाओं के स्कूल, शिक्षा के नवीन तरीके और उपकरण इस्तेमाल करते हैं। उच्च प्रशिक्षित विदेशी अध्यापकों का पर्याप्त संख्या में न मिलना और महंगे उपकरणों के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की कमी इस कार्य में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। प्रशिक्षण के नवीनतम तरीकों के अपनाने पर भी प्रशिक्षण की कालावधि में पर्याप्त कमी करना संभव नहीं होगा।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

४९६. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये इकट्ठे किये गये धन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये इकट्ठे किये गये धन के गबन के अनेक मामले हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि का गबन हुआ है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये इकट्ठे किये गये धन के आंकड़े निम्न हैं :—

नकद	५८.१० करोड़ रु०
सोना	२२.८१ लाख ग्राम
चांदी	११.७० लाख ग्राम

(ख) और (ग). राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये इकट्ठे किये गये धन के गबन के किसी गम्भीर मामले की सूचना सरकार को नहीं मिली है। छोटी शिकायतें, जो कि सामान्यतः तुच्छ सी होती हैं, समय-समय पर प्राप्त होती हैं और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं क्योंकि धन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आरम्भ से ही राज्य सरकारों को सौंप दी गई थी। ऐसी शिकायतों के बारे में सभी राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त करने के कार्य में बहुत समय लगेगा और इसके लिये बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे जो कि प्राप्त होने वाली जानकारी की उपयोगिता की तुलना में बिलकुल लाभप्रद नहीं होंगे क्योंकि राज्य सरकारों को इसके लिये जिला अधिकारियों से पूछताछ करनी पड़ेगी। यदि किन्हीं विशेष मामलों की सूचना सरकार को मिलेगी, तो उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जायेगी और दे दी जायेगी।

Tezpur Bomdila Road

497. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) when the Tezpur Bhalukpong-Bomdila road is proposed to be opened for public traffic;
(*b*) whether its maintenance is proposed to be entrusted to the C.P.W.D.;
(*c*) if so, when; and
(*d*) the total expenditure incurred on the construction of the road?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D.R. Chavan): (a) The road from Tezpur to Charduar has been in use for some years. The road from Charduar to Bomdila *via* Bhalukpong has been completed and is available for public traffic.

(*b*) *and* (*c*). The responsibility for maintenance of the different sections of this road is indicated below :

Section	*Agency Responsible for Maintenance*
Tezpur-Charduar . .	Assam P.W.D.
Charduar-Bhalukpong .	NEFA P.W.D.
Bhalukpong-Bomdila .	Border Roads Development Board.

(*d*) The expenditure incurred on this road upto the 31st December, 1963 is Rs. 518·12 lakhs. The total cost of construction of the road would be known only after the accounts have been finalised.

'पुष्पक' विमान

४९८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड' भारत में उड़ान क्लबों के लिये प्रशिक्षण देने वाले 'पुष्पक' विमान पर्याप्त संख्या में बनाने लग पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो 'पुष्पक' विमानों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). अभी तक 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड' लगभग ५० प्रतिशत मांग पूरी कर सका है और आशा है कि १९६५ के मध्य तक यह शेष मांग भी पूरी करने लगेगा ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली में अनिर्णीत मामले

४९९. **श्री शिवचरण गुप्त :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ मार्च, १९६०, ३१ मार्च, १९६१, ३१ मार्च, १९६२ और ३१ मार्च, १९६३ को औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली में कितने मामले अनिर्णित पड़े थे ;

(ख) क्या यह सच है कि मामले लम्बे समय के लिये अनिर्णीत रखे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनको शीघ्र निबटान के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क)

तिथि	अनिर्णीत मामलों की संख्या
३१-३-६०	८१
३१-३-६१	११७
३१-३-६२	१६८
३१-३-६३	३२५

(ख) जी, नहीं। केवल उन्हीं मामलों को लम्बित रखा जाता है जिनके बारे में याचिका पत्रों के कारण उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यप्यालय ने रोक आदेश दिये होते हैं। अन्य सभी मामलों में न्यायालय उन्हें यथासम्भव शीघ्र निबटाने का यत्न करता है।

(ग) प्रथम बार में ६ मास के लिये एक अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण मंजूर किया गया है। केन्द्रीय सरकार के दिल्ली औद्योगिक न्यायाधिकरण, से कुछ अनिर्णीत मामले वापस ले कर और स्थानों के केन्द्रीय सरकार के न्यायाधिकरणों को निबटाने के लिये दे दिये गये हैं।

भारतीय सहायता से नेपाल में राजपथ

५००. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत नेपाल को एक राजपथ के निर्माण के लिये, जोंकि सोनोली नगर को पोखरा—पश्चिमी नेपाल—से मिलायेगी, सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) अभी तक भारत ने नेपाल को कुल कितनी सहायता दी है?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) योजना अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) ३१-३-१९६६ तक के लिये लगभग ३१ करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है जिसमें से ३१-३-१९६३ तक १३.८ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म

५०१. **श्री प० कुन्हन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण संबंधी फिल्म बनाने में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब पूर्ण हो जाने की आशा है ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) निर्माता ने अभी तक पुनरीक्षित लिपि नहीं दी है जिसे देने का समय उसके अनुरोध पर मार्च के मध्य, १९६४ तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) फिल्म के पूर्ण होने की तिथि फिल्म की लिपि के अन्तिम रूप से मंजूर हो जाने के पश्चात् ही निश्चित की जा सकती है।

हैलीकाप्टरों का निर्माण

५०२. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर में हैलीकाप्टरों के उत्पादन का निर्माण कार्यक्रम अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा।

पश्चिमी बंगाल में जवानों की विधवाओं के लिये बस्तियां

५०३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों के विरुद्ध लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की विधवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास बस्तियां स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) उनके लिये कितनी बस्तियां स्थापित की जायेंगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

५०४. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि योजना में इस आशय का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है कि विद्यमान न्यूनतम १५ वर्ष की अवधि के बजाय निधि की १० वर्ष की सदस्यता के पश्चात् भी श्रमिकों को नियोजक के अंशदान की पूरी रकम मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस विषय पर कोयला खान भविष्य निधि के ट्रस्टी बोर्ड में ५ अक्तूबर, १९६३ की मीटिंग में विचार किया गया था और उसमें वर्तमान उपबन्धों में कोई भी संशोधन न करने का निर्णय किया गया क्योंकि भविष्य निधि सदस्यों के परिवार के लिये एक बजट है और निधि से समय से पूर्व रुपया निकालने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न देना उनके ही हित में होगा।

विश्व संघ सरकार

५०५. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध निर्मूल करने और राष्ट्रों में शान्ति की भावना सुनिश्चित करने के लिये विश्व संघ सरकार के विचार को सिद्धान्त रूप में अथवा सरकार रूप में स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार का विश्वास है कि आज जगत के सम्मुख जो आदर्श है वह एक ऐसे विश्व की स्थापना करना है कि जो शस्त्ररहित हो, और जहां न्याय, प्रगति तथा राष्ट्रों में परस्पर शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की भावना व्याप्त हो। शस्त्ररहित जगत में किसी प्रकार की विश्वसत्ता आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में यह कथन समय से पूर्व होगा कि "एक विश्व" और "विश्वसत्ता" का क्या रूप होगा। वर्तमान समय में मानवता के समक्ष आवश्यक और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि ऊपर एक विश्व की जो कल्पना की गई है उसकी स्थापना के पूर्व प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सम्पूर्ण और अपवादरहित नि:-शस्त्रीकरण की स्थिति उत्पन्न की जाये।

(ख) भारत सरकार ने इन विचारों का प्रतिपादन किया है। इनमें मुख्य यह हैं :— विश्व के राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत किये जाने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नि:शस्त्रीकरण का सिद्धान्त।

बर्मा के सैनिक प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा

५०६. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के एक सैनिक प्रतिनिधिमण्डल ने १९६३ में दिसम्बर के अन्त में इम्फल और कोहिमा की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या अभिप्राय था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। बर्मा के एक सैनिक प्रतिनिधिमण्डल ने २६ से २८ दिसम्बर, १९६३ तक इम्फल की यात्रा की थी।

(ख) भारतीय और बर्मी सैनिक प्रतिनिधिमण्डलों ने स्थानीय सीमा समस्याओं पर चर्चा की थी एवं परस्पर हित के विषयों पर विचार विनिमय किया था।

विमान चालकों के लिये जीवन बीमा

५०७. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के नये कमीशन शुदा विमान चालकों को जीवन बीमा निगम से बीमा कराने के लिये विवश किया जाता है ;

(ख) क्या डाक जीवन बीमा की शर्तें अधिक सुलभ हैं और उसका प्रीमियम भी कम है ;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को डाक जीवन बीमा से लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो नये विमान चालकों को वैसी ही सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २३८७/६४]**

आकाशवाणी कार्यक्रम

५०८. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी इस वर्ष जनवरी से रात्रि में प्रतिदिन ९ बजकर १५ मिनट पर "इंडिया एण्ड दी ड्रैगन" के स्थान पर एक नया कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) नये कार्यक्रम का स्वरूप और विषय क्या है ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). "इंडिया एण्ड दी ड्रैगन" कार्यक्रम चीनी आक्रमण और राष्ट्रीय संकट के तुरन्त पश्चात् आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मूलतः चीन के मिथ्या प्रचार का भण्डाफोड़ करके उसका प्रतिवाद करना था। स्थिति में सुधार होने पर यह अनुभव किया गया कि "इंडिया एण्ड दी ड्रैगन" के स्थान पर अधिक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण से युक्त कार्यक्रम रखा जाय। यह परिवर्तन ५ जनवरी, १९६४ से किया गया था। परिवर्तित कार्यक्रम का शीर्षक है "वर्तमान समस्याओं का सिंहावलोकन" ("फ़ोक्स-आन मैटरस आफ केरैन्ट इन्टरेस्ट"।) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नवीनतम गतिविधियों पर चर्चा की जाती है और समय समय पर विभिन्न संदर्भों में चीन की नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण तथा उनकी चर्चा भी की जाती है।

मोजाम्बिक में भारतीय

५०९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिये मैक्सिको सरकार ने अपना प्रतिनिधि मोजाम्बिक भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). मैक्सिको सरकार से मोजाम्बिक में प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रार्थना की गई है। भारत सरकार इस विषय में नई गतिविधि की प्रतीक्षा कर रही है।

यूगोस्लाविया से सैनिक सहायता

५१०. श्री नाथ पाई : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया की सरकार ने स्थगित भुगतान के आधार पर भारत को पर्वतीय उच्चशतघ्नी[1] तथा गोला-बारूद देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जी, नहीं। यूगोस्लाविया से दो पर्वतीय तोपें खरीदी गईं थीं और उन पर परीक्षण किये जा रहे हैं। स्थगित भुगतान के आधार पर पर्वतीय तोपों और गोला-बारूद देने का यूगोस्लाविया द्वारा प्रस्ताव करने अथवा इस मामले में उनसे कोई समझौता करने का प्रश्न इस अवस्था पर उठता ही नहीं है।

स्टैनगन की चोरी

५११. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इच्छापुर स्थित राइफल कारखाने से स्टैनगन की चोरी के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ; और

1Howitzers.

(ख) यदि हां, उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच न्यायालय ने कुछ व्यक्तियों को असावधानी के लिये अथवा चोरी में स्वेच्छा से हाथ बंटाने के लिये दोषी पाया है । सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । जांच न्यायालय ने विद्यमान कार्यप्रणाली में कुछ दोषों का भी पता लगाया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के हेतु कार्यपद्धतियों का संशोधन करने और उन्हें दोष-रहित बनाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

५१२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कुल कितने एककों को छूट दी गई है तथा वे सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने कितने हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्):

जिन एककों को छोड़ दिया गया है उनकी कुल संख्या	१४६०
सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या	८४
गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या	१३७६

नेफा में भूतपूर्व सैनिक

५१३. **श्री हेम राज** : क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक ६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में तिराप सीमान्त डिवीज़न के विजयनगर क्षेत्र में भूतपूर्व-सैनिकों का पुनर्वास करने के सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : विजयनगर क्षेत्र में लगभग २०० भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बसाने के लिये औपचारिक मंजूरी अब दे दी गई है और इस योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है । तिराप सीमान्त डिवीज़न की पूरी नोआ दिहिंग घाटी के साथ साथ मिझाओं के सड़क के मुहाने से लेकर इस बस्ती के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये नेफ़ा प्रशासन ने और भी योजनायें प्रारम्भ की है ।

सीमा सड़क परियोजनायें

५१४. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये कितनी विभिन्न परियोजनायें चल रही हैं तथा उनके क्या क्या नाम हैं ; और

(ख) १९६२–६३ के दौरान और १९६३–६४ में अब तक उनमें कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के विभाग द्वारा ही निर्माण के लिये सात परियोजनायें चल रही हैं जिनमें से प्रत्येक में जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स के एक-एक चीफ़ इंजीनियर की देखभाल में

कार्य किया जा रहा है। परियोजनाओं के नाम यह हैं। बीकन, दीपक, चेतक, स्वस्तिक, दन्तक, वर्तक और सेवक। इनके अतिरिक्त, राज्य और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ़ इंजीनियरों को भी बोर्ड के कार्यक्रम में सम्मिलित कार्य सौंपे गये हैं।

(ख) वर्ष १९६२–६३ में और १ अप्रैल, १९६३ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं यह नीचे दिया हुआ है :—

	जीप कम से कम ८ फीट चौड़ी	१ टन (१६ फीट चौड़ी)	३ टन (२० फीट चौड़ी)
१ अप्रैल १९६२ से लेकर ३१ मार्च, १९६३ तक . .	८२	३५६	२०६
१ अप्रैल १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक . .	९७	१२८	३८०

गणतन्त्र परिषद् की परेड के लिये निमन्त्रण पत्र

५१५. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प० ना० कायल :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की परेड के लिये कितने निमंत्रण पत्र दिये गये थे ;

(ख) संसद् सदस्यों के अतिथियों को पास जारी करने में क्या सिद्धान्त अपनाया गया था और ऐसे कितने पास जारी किये गये थे ; और

(ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा सैनिक कार्यालयों के अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा उनके अतिथियों को कितने पास दिये गये थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) २३,७२७ (४२,४३९ बैठने के स्थानों के लिये)।

(ख) संसद् सदस्यों द्वारा उनके रिश्तेदारों तथा अतिथियों के लिये निमंत्रण पत्र दिये जाने के हेतु जो प्रार्थनापत्र दिये गये थे उन पर उनकी गुण-दोषों के आधार पर जांच की गई थी और निमंत्रण पत्र इस शर्त पर जारी कर दिये गये थे कि स्थान उपलब्ध होने पर वह उन्हें मिल सकेगा। बाहर से आये निकट सम्बन्धियों एवं अतिथियों को अधिमान दिया गया था। संसद् सदस्यों के रिश्तेदारों तथा अतिथियों को कुल २०५९ स्थानों के लिये निमंत्रण पत्र दिये गये थे।

(ग) जितने स्थानों (सीटों) के लिये निमंत्रण पत्र जारी किये गये उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

(१) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के लिये . . .	९१
उनके अतिथियों और रिश्तेदारों के लिये . .	१,७५६

(२) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकार प्राप्त अधिकारियों के लिये (जिनमें सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर्सेना संगठनों के असैनिक अधिकारी भी सम्मिलित हैं)	५९९
उनके अतिथियों और रिश्तेदारों के लिये	४३५
(३) प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों के लिये	४,२०९
उनके अतिथियों और रिश्तेदारों के लिये	१,२०७

पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश

५१६. श्री रा० बरुआ : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्र में पाकिस्तानी अनधिकृत प्रवेष्ठा भारतीय वन उत्पादों को अवैध रूप से निकाल कर ले जाते रहे हैं और इससे भारत को भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है और पाकिस्तानियों के ऐसे अवैध कार्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां, कुछ ऐसे मामलों के समाचार मिले हैं जिनमें पूर्वी पाकिस्तान के अनधिकृत प्रवेष्ठा त्रिपुरा के वन उत्पादों को अवैध रूप से निकाल कर ले गये हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कुछ मामलों में पूर्वी पाकिस्तान से उत्तर प्राप्त हो गये हैं; अन्य कुछ मामलों में अभी तक उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) पाकिस्तानी अनधिकृत प्रवेष्ठाओं की ऐसी अवैध कार्यवाहियों को रोकने के लिए सावधानी बरतने के उपाय किये गये हैं । वन प्रहरी दलों को मजबूत कर दिया गया है और सीमा के साथ साथ उनकी गश्त को गहन कर दिया गया है ।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

५१७. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के पिछले झण्डा दिवस के अवसर पर देश में कुल कितना रुपया एकत्रित हुआ ; और

(ख) सशस्त्र सेना में उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है । प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) कुल एकत्रित राशि का १० प्रतिशत अथवा कम से कम १ लाख रुपया प्रतिवर्ष केन्द्रीय झण्डा दिवस निधि संचिति में रखने के पश्चात्, शेष रुपया राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों, सेना मुख्यालयों, भारतीय रैड क्रास सोसाइटी तथा अन्य कुछ संस्थाओं में बांट दिया जाता है।

सेना मुख्यालयों को दिये गये धन का ७० प्रतिशत भाग प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को आर्थिक संकट को दूर करने के लिये किया जाता है। जब सहायता कुछ समय के लिये जारी रखनी होती है तो ८ रुपये से लेकर २५ रुपये प्रतिमाह तक का अनुदान दिया जाता है। एक मुश्त अनुदान सामान्यतया १०० रुपये से अधिक के नहीं होते। शेष ३० प्रतिशत रुपया वर्तमान कर्मचारियों के लिये अनेक सुविधाओं जैसे स्पोर्टस गीयर, पत्रिकायें, रेडियो, ग्रामोफ़ोन आदि की व्यवस्था करने में उपयोग किया जाता है।

राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों को जो धन दिया जाता है उसका भी उपयोग वे भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहायता देने में करते हैं।

चीन की धमकी पर फिल्म

५१८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि फिल्मस डिवीज़न ने काले और सफेद रंग के "चीनी धमकी" नामक एक टेलिविज़न फिल्म तैयार की है जिसमें भारत-चीन सीमा विवाद के इतिहास का चित्रण किया गया है?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह): जी, हां। फिल्मस डिवीज़न ने "चीनी धमकी" ("दी चाइनीज़ थ्रैट") नामक एक टेलिविजन फिल्म तैयार की है।

गणतन्त्र दिवस परेड

५१९. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ में गणतन्त्र दिवस की परेड दखने के लिये बैठने के विशेष स्थानों में प्रवेश की व्यवस्था टिकटों की बिक्री द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष भी इस पद्धति के न अपनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस वर्ष गणतन्त्र दिवस की परेड के लिये पास देने के लिये क्या सिद्धांत अपनाया गया था?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : जी हां, १९६२ में, पहली ही बार, बैठने के विशेष स्थानों के लिये कीमत वाली टिकट जारी करने की पद्धति अपनाई गई थी। यह बैठने के स्थान जनपथ और मान सिंह रोड के बीच पड़ने वाले राजपथ क भाग पर थे।

(ख) आपात काल को दखते हुए जो बहुत-सी परिसीमायें लगा दी गई थीं उससे गत की परेड आम स्तर की नहीं थीं और बैठने के स्थानों में प्रवेश की अनुमति के लिये निमंत्रण की पुरानी पद्धति पुनः अपना ली गई थी। इस वर्ष की परेड भी पुराने बड़े पैमाने पर नहीं थी टिकिट जारी करने की पद्धति में और भी बहुत सी संगठनात्मक व्यवस्था करनी पड़ती है जिसके लिये बहुत सी जनशक्ति को लगाना पड़ता है। इसलिये टिकट पद्धति को फिर से लागू न करने का ही निर्णय किया गया।

(ग) १९६४ के गणतन्त्र दिवस की परेड के लिये केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों, उप-मंत्रियों, संसद-सचिवों, संसद सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, योजना के सदस्यों, राजनयिकों, दिल्ली नगर निगम के सदस्यों आदि को निमंत्रण भेजे गये थे। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, अवर सचिव और इससे ऊपर की श्रेणियों के असैनिक अधिकारी आमंत्रित किये गये थे, और सशस्त्र सेनाओं में से, ऊपर की श्रेणियों से मेजर की श्रेणी तक के सभी अधिकारियों और कप्तान और उससे नीचे की श्रेणियों के ५०% अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। कर्मचारी परिषदों और मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघों के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था। जहां तक गैर-अधिकारियों का सम्बन्ध है, सरकार का ध्येय यह था कि जितने स्थान उपलब्ध हों उनके लिये जनता की विभिन्न श्रेणियों में से जितने भी लोगों को सम्भव हो सके निमंत्रण दिये जायें; विदेशों से दिल्ली के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सामान्यता अधिमान दिया गया था। दिल्ली में स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों को निमंत्रण मख्यत: उस सूची के आधार पर दिया गया था जो कि दिल्ली प्रशासन ने सरकार को दी थी।

ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण

५२०. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने ट्रांजिसस्टर रेडियो का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) क्या ट्रांजिस्टर के सभी पुरजे उक्त कारखाने में ही बनाये जाते हैं?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पाकिस्तानी सीमा पर मारे गये भारतीय जवान

५२१. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) गत चार महीनों में पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पाकिस्तानी सैनिकों ने कितने भारतीय जवानों को मार डाला है अथवा घायल किया है;

(ख) जो जवान अपना कार्य करते हुए मारे गये उनके रिश्तेदारों को क्या प्रतिकर दिया गया है; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से भी कोई प्रतिकर मांगा गया है?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) गत चार महीनों में भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना का न तो कोई जवान मारा ही गया

है और न घायल ही हुआ है ; सीमा चौकियों पर सैनिक कमचारी नहीं रखे जाते हैं। तथापि, इस अवधि में, पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा आसाम सीमा सुरक्षा सेना का एक व्यक्ति मार डाला गया है और तीन घायल किये गये हैं। घायल व्यक्तियों में से एक बाद में अस्पताल में मर गया था।

(ख) आसाम सीमा सुरक्षा सेना के मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को प्रतिकर देने का उत्तरदायित्व आसाम सरकार पर है। इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को यह सूचित कर दिया है कि हमको जो जान हानि हुई है उसके लिये प्रतिकर मांगने का हमारा अधिकार सुरक्षित है।

ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स

५२२. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या यह सच है कि यह देखने के लिये कि स्थानीय स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स, ग्वालियर में प्रतिरक्षा उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है, अथवा नहीं प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री ने हाल ही में ग्वालियर गये थे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री ने अपने ग्वालियर के दौरे के समय कुछ कारखानों का निरीक्षण किया था जिनमें स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स भी सम्मिलित है।

(ख) कारखाने में इस समय जो मशीनें तथा प्रविधिक दक्षता उपलब्ध है उससे इसमें केवल छोटे मोटे पुर्जों का ही कार्य किया जा सकता है जिसमें टर्निंग तथा बहुत थोड़ा सा मिलिंग का कार्य भी सम्मिलित है। ऐसे कार्य के लिये प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के कारखानों में भी कम क्षमता नहीं है। क्योंकि स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स वाले प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी अपने कार्य का विस्तार करने के लिये बहुत उत्सुक हैं अतः मध्य प्रदेश के उद्योग निदेशक से यह कहा गया है कि वे ऐसी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की सामग्री के लिये क्रयादेश प्राप्त करने के हेतु जो कि संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा प्राप्त की जा रही हैं सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय के साथ बातचीत करें। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्वालियर की फर्मों के प्रतिनिधियों को अपने साथ लेकर वे कुछ आयुध कारखानों में जायें और इसकी जांच करें कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अपेक्षित पुर्जों का उत्पादन करने के क्षेत्र में प्रवेश करने की दृष्टि से क्या विस्तार कार्य किया जा सकता है।

माही के लिये केरल भूमि सुधार अधिनियम

५२३. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि सुधार अधिनियम, १९६३ (१९६४ का केरल अधिनियम) को माही पर भी लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कोई निर्णय लिया गया है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). केरल भूमि सुधार अधिनियम, १९६३ को माही पर भी लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु माही के सम्बन्ध में इस अधिनियम जैसे ही एक विधान पर पांडिचेरी सरकार विचार कर रही है।

नौसेना के जहाजों की टक्कर

५२४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १०/११ फरवरी, १९६४ को पोर्ट ब्लेयर पर अपने रात्रि अभ्यास करते समय भारतीय नौसेना के दो जहाजों "खुकरी" और "बेतवा" में एक हलकी सी टक्कर हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) एक जांच बोर्ड इस मामले की छानबीन कर रहा है।

---

१६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२९ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 1729 DATED 16th DECEMBER 1963

संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : १६ दिसम्बर १९६३ को अतारांकित प्रश्न संख्या १७२९ के उत्तर में मैंने इस सदन को यह सूचित किया था कि आकाशवाणी के बीकानेर केन्द्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या ३२ है और उनमें से ४ अनसूचित जातियों के हैं। मुझे खेद है कि वे संख्यायें सही नहीं थीं ? सही संख्यायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) १६ दिसम्बर, १९६३ को आकाशवाणी के बीकानेर केन्द्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या .	३६
(२) उनमें से अनूसूचित जातियों के कर्मचरियों की संख्या	६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों द्वारा कुछ पदाधिकारियों की हत्या

श्री स्वैल : (आसाम-स्वायत जिले) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"७ फरवरी, १९६४ को वाकचिंग क्षेत्र में नागा विद्रोहियों द्वारा नागालैंड के पांच पदाधिकारियों की हत्या।"

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : वाक्चिंग के खण्ड विकास अधिकारी (ब्लाक डेवेलपमेंट आफ़ीसर), श्री के० यंथान और उनके साथ चार सरकारी कर्मचारी ७ फरवरी, १९६४ को सवेरे ९ बजे तुएनसांग क्षेत्र में वाक्चिंग से मोन जब सरकारी डयूटी पर जा रहे थे, उपद्रवी नागाओं ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इस दल में ये लोग थे : वाक्चिंग हाई स्कूल के क्लर्क, श्री जे० एन० बौरा, दोबाशी, श्री विजय चौकीदार, श्री लौंगममी ; विद्यार्थी, श्री लौंगमा और उस जीप के ड्राइवर जिसमें कि वह लोग जा रहे थे, श्री एल० बी० सिंह। जीप में बैठे छः के छः व्यक्तियों को मार डाला गया था। सम्भवतः जीप के अंदर ही, हालांकि उनके शव जीप के बाहर पड़े मिले थे। गोलियों के घावों के अलावा उनके शरीर पर "दाउ" से भी घाव किए गए थे। इन लोगों के पास जो भी सामान आदि था वह उपद्रवी ले गए थे।

इन उपद्रवियों ने जीप की बगल से और पीछे से गोलियां चलाईं। गोलियों के निशान देखने से पता लगता है कि उपद्रवियों ने राइफ़ल और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया। जीप का आगे का हिस्सा जला दिया गया था।

तुएनसांग के डिप्टी कमिश्नर, मोन के अतिरिक्त (एडीशनल) डिप्टी कमिश्नर तथा असम राइफ़ल्स बटालियन के एक कमान्डेन्ट के साथ घटना स्थल का दौरा कर आए हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

बताया जाता है कि मोन में ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई हैं और सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी वाहन तब तक बिना अनुरक्षकों के ही आते-जाते रहे हैं। इसलिए, खण्ड विकास अधिकारी और उनके दल के सदस्य बिना अनुरक्षकों के ही जा रहे थे। सुरक्षा सेना के लिए हमेशा यह सम्भव नहीं होता कि वह अपनी कार्रवाई में से आदमी निकाल कर दौरे पर जाने वाले अधिकारियों या दलों को अनुरक्षक दे सके।

नागालैंड में हालत अब भी गड़बड़ है, और ऐसे संकेत मिले हैं कि उपद्रवी नागा अब अपनी सरगर्मियों को सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा सेना के विरुद्ध मोड़ रहे हैं।

श्री स्वैल : नागालैंड की अत्यधिक शोचनीय स्थिति को देखते हुए क्या प्रधान मंत्री इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे कि इस सभा में नागालैंड एवं उस के निकटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी स्थिति पर चर्चा के लिये अनुमति दी जाय ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा नहीं दिया जायगा।

श्री स्वैल : तो क्या यह नागालैंड से संबंधित नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय: किसी विषय पर चर्चा कैसे उठाई जाय इस बारे में नियम एवं आदेश हैं।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलानें वाली सूचनाओं के बारे में
RE: MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

उपाध्यक्ष महोदय : पाकिस्तानी सैनिको द्वारा भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर छिपकर किये गये हमले के बारे में स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से कहूंगा कि वह आज ४.३० बजे एक वक्तव्य दें और उस के पश्चात स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में विचार किया जायगा।

भारतीय वायु सेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारें में
RE: MISSING I.A.F. AIRCRAFT

श्री बड़े (सारगोन) : उस लापता विमान का क्या हुआ ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह दुर्भाग्य की बात है कि बावजूद सक्रिय कार्यवाही करने के उस विमान का पता नहीं लग सका । वह इलाका बहुत खराब है और मौसम भी खराब रहा जिस के कारण खोज के काम में बाधा पड़ी । यह खबर प्राप्त हुई है कि विमान को रियासी क्षेत्र में देखा गया था । इस क्षेत्र में तेजी से खोज हो रही है । ज्योंही कोई खबर मिलती है मैं सभा को सूचित करूंगा ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): पाकिस्तान से इस बारे में जो पूछताछ की गयी थी क्या उस का कोई उत्तर मिला है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा बताया गया है कि लापता विमान के बारे में उन के पास कोई जानकारी नहीं है । .

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति के बारे में माननीय सदस्य द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति बहुत खराब है । इस विषय के स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचना के होते हुए केवल एक वक्तव्य से क्या लाभ होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होते ही इस विषय को लिया जायगा । आज केवल ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को ही लिया जा सकेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक स्थगन प्रस्ताव भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस के लिये मैंने अनमति नहीं दी । यदि आपने उस बारे में कुछ कहना है तो मझे मिल लें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : यदि इसे आप कल तक रोक लें तो उचित होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका है । यदि माननीय सदस्य मेरे निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह मेरे पास आ कर बात कर सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमें मालूम हुआ है कि वहां पर विद्रोह भी हुआ है । हम इस बारे में वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं । यदि आप इसे रोक रखें तो मंत्री महोदय आ कर वक्तव्य दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि मरे निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं तो मेरे पास आकर बात करें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इण्डियन रेअर अर्थस् लिमिटेड तथा त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त विभाग के मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं (१) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६२-६३ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २३८०/६४]।

(दो) त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड, क्विलोन की वर्ष १९६२-६३ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २३८१/६४]।

भारतीय वणिक नौवहन (भारवाहक) प्रथम संशोधन नियम

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं (२) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९०६ में प्रकाशित भारतीय वणिक् नौवहन (भारवाहक) प्रथम संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २३८५/६४]।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९४२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (बाईसवां संशोधन) योजना, १९६३।

(ख) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९८२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तेईसवां संशोधन) योजना, १९६३।

(ग) दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, १९६४।

(घ) दिनांक १८ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, १९६४।

(ङ) दिनांक २५ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, १९६४।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

(च) दिनांक २५ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३८३/६४] ।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) उक्त एक्ट की अनुसूची १ में रंग-रोगन तथा वार्निश उद्योग को सम्मिलित करने वाली दिनांक २८ दिसम्बर, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १९८३ ।

(ख) उक्त एक्ट की अनुसूची १ में हड्डी पीसने वाले उद्योग को सम्मिलित करने वाली दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ६७ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३८४/६४] ।

(५) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वर्ष १९६२-६३ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३८५/६४] ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNT COMMITTEE

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग (अब उद्योग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय), सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार, अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय और शिक्षा मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (असैनिक), १९६१-६२ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६३ के बारे में लोक-लेखा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सुरक्षा परिषद् में काश्मीर पर हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE:SECURITY COUNCIL DEBATE ON KASHMIR

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद् के सामने दो मुख्य बातें रखी गयीं। एक यह कि काश्मीर में खुले तौर पर विद्रोह हो रहा है, और दूसरे, कि हम काश्मीर को भारत के साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक पहले आरोप का संबंध है यह बात स्वीकार कर ली गयी कि यदि कोई ऐसा स्थान है जहां साम्प्रदायिक एकता पाई जाती है तो वह काश्मीर है । पाकिस्तान के दूसरे आरोप का उत्तर देते हुए बताया गया कि काश्मीर पहले ही वैधिक एवं संवैधानिक दृष्टियों से भारत का अंग है । यह भी स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान जिन संकल्पों की चर्चा करता है वह अब पुराने हो चके हैं और कि किसी भी परिस्थिति में भारत जनमत संग्रह पर सहमत नहीं होगा ।

यह भी हमारे द्वारा बताया गया कि यदि जनमत संग्रह कराया गया तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे ।

ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो रुख सुरक्षा परिषद् में अपनाया वह अत्यन्त खेदजनक और हमारी आशाओं के प्रतिकूल था । उसने पूर्णतया पाकिस्तान का पक्ष लिया । इस विषय में तीन तथ्य मैं आप के समक्ष रखता हूं : ब्रिटेन ने कहा कि वैधिक दृष्टि से काश्मीर का भारत में प्रवेश अवास्तविक है । इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि यह प्रवेश स्वयं ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुआ था । दूसरी आश्चर्यजनक बात यह थी कि ब्रिटिश प्रतिनिधि के भाषण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं आया कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया । परन्तु इस से भी बढ़ कर खेदजनक बात यह थी कि साम्प्रदायिक नीति के बारे में उस ने पाकिस्तान और भारत दोनों देशों को एक सा बताया । गत दिनों में जो विद्रोह हुए उस समय भारत के प्रेस आदि ने जो अच्छा रुख अपनाया वास्तव में उसी ने मेरा हौंसला बुलन्द किया और उसी के कारण अन्य सदस्यों के विचारों में कुछ परिवर्तन आया । आप अमरीका के प्रतिनिधि के भाषण को देखिये । यद्यपि वह भारत के विरुद्ध है फिर भी उस में कटुता नहीं पाई जाती ।

रूस एवं चैकोस्लोवाकिया ने हमारा पक्ष लिया । यह कहना गलत है कि रूस के प्रतिनिधि ने पहले के समान जोरदार शब्दों में हमारा समर्थन नहीं किया । यदि वह इस समस्या के ब्यौरे में नहीं गये तो इसका कारण यह है कि वह भी अन्य देशों के समान राय जानना चाहते थे ।

मोरक्को और आईवरी कोस्ट ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का समर्थन किया । कुछ लोग उन की कटु आलोचना करते हैं । परन्तु पाकिस्तान इन देशों से कोई अपने हित का संकल्प प्रस्तुत नहीं करा सका । यह बात सिद्ध करती है कि वह भी हमारे पक्ष में रहे ।

इसी प्रकार बोलीविया, नार्वे, राष्ट्रवादी चीन और फ्रांस ने भी इस बात पर जोर दिया कि बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस समस्या के लिये नवीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । इसलिये, मैं समझता हू कि चर्चा मुख्यतया हमारे पक्ष में रही ।

कन्सैंसस का अर्थ एक ऐसा समझौता है जिसमें सुरक्षा परिषद् के सदस्य ही नहीं अपितु पाकिस्तान और भारत भी शामिल हों । मैं समझता था कि ऐसे समझौते का अर्थ क्या है । मैं पहले से ही समझता था कि चूंकि हमारे दृष्टिकोण में काफी अन्तर है इसलिये ऐसे समझौते का हो पाना सम्भव ही नहीं है । इसी कारण मैंने इस विषय में कड़ा रुख नहीं अपनाया । मैंने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि यदि कोई बात हमारी आधारभूत स्थिति के विरुद्ध होगी तो उस पर हम सहमत नहीं हो सकते । पाकिस्तान और भारत में अन्त में मतभेद इस तरह रहा । मैंने कहा कि हम बातचीत के लिये उस शर्त पर तैयार होंगे कि पहले साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त किये जायें और शांति का वातावरण बनाया जाए, परन्तु पाकिस्तान ने कहा कि पुराने संकल्पों के आधार पर बातचीत आरम्भ की जाए । मैंने स्पष्ट कर दिया कि भारत जनमत संग्रह के प्रस्ताव को आधार मान कर बातचीत नहीं कर सकता । इसीलिये कोई समझौता नहीं हो सका । यदि समझौता हो जाता तो उसे मानने में हम बाध्य थे परन्तु मुझे यकीन था कि समझौता हो ही नहीं सकेगा ।

पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् के पास यह दो बातें ले कर गया था । वह चाहता था कि सुरक्षा परिषद् हमें इस बात पर बाध्य करे कि हम काश्मीर को अग्रेतर भारत का अंग बनाने संबंधी कार्यवाहियां न करें। परन्तु वह अपने उद्देश्य में असफल रहा ।

[श्री मु० क० चागला]

मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि काश्मीर के भारत के साथ एकीकरण संबंधी जो कदम हम उठा रहे हैं वह काश्मीर के लोगों के कल्याण की दृष्टि से ही अपना रहे हैं।

अनुच्छेद ३७० को शीघ्र ही समाप्त हो जाना चाहिए।

इसलिये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की राजनयिक हार हुई है। वह चाहता था कि संकल्प पारित कराया जाय जो वह नहीं करा सका।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के चीन के साथ गठजोड़ और षड़यंत्र के बावजूद भी ब्रिटेन ने उसका पक्ष क्यों लिया?

श्री मु० क० चागला : इसका कारण यह है कि हमारी नीति गुटों से अलग रहने की है परन्तु पाकिस्तान इस दृष्टि से ब्रिटेन और अमरीका का साथी देश है। इसलिये उनका पाकिस्तान की ओर झुकाव होना स्वाभाविक ही है।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): बोलीविया और राष्ट्रवादी चीन का रुख इस मामले में क्या रहा? और क्या समझौते के बारे में सभी देशों का यही विचार था जो कि भारत का है?

श्री मु० क० चागला : बोलीविया ने हमारा पक्ष लिया।

जहां तक समझौते का संबंध है प्रत्येक देश ने हमारे दृष्टिकोण की सराहना की। हम अपने आधारभूत सिद्धान्त को छोड़े बगैर हर सम्भव कार्यवाही के लिये तैयार थे। आम देशों की यही राय थी कि समझौता हो और संकल्प पारित न किया जाए।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : काश्मीर की समस्या के प्रति क्या रूस के रुख में कुछ परिवर्तन हुआ है?

श्री मु०क० चागला : जहां तक सम्भव हो कोई भी देश वीटो का प्रयोग नहीं करना चाहता। वैसे रूस के प्रतिनिधि के भाषण को सुनकर आपको मालूम होगा कि उसके रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): पाकिस्तान जिस सुरक्षा परिषद् के पास गया था अब उसका क्या नतीजा होगा?

श्री मु० क० चागला : वैसे तो काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के कार्यावलि में है और कोई भी देश उस पर चर्चा के लिये अभ्यावेदन कर सकता है, परन्तु जब तक एक विशेष स्थिति उत्पन्न न हो जाय जब तक सुरक्षा परिषद् इस पर अपना समय नष्ट नहीं करेगा। हमें इस बारे में सतर्क रहना होगा कि कहीं पाकिस्तान उस विशेष स्थिति को उत्पन्न न करने पाये।

Shri Kishan Pattnayak : Whether our representative made it clear that there was a feeling created here in India by the attitude of the U.K. delegate that we should sever our relations with the Commonwealth?

श्री मु० क० चागला : यह एक गम्भीर मामला है जिस पर हमें रोषपूर्ण ढंग से विचार नहीं करना है। इसके बारे में निर्णय लेने का सम्बन्ध सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के प्रतिनिधि के दृष्टिकोण से नहीं है।

रेलवे आय व्ययक १९६४-६५ सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET 1964-65—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : हम रेलवे आय व्ययक पर चर्चा जारी रखेंगे। इस पर चर्चा के लिये निर्धारित १५ घंटों में से ६ घंटे और ५ मिनट समाप्त हो चुके हैं, ९ घंटे, ५५ मिनट बचे हैं, श्री हेम राज अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : रेलवे में भीड़भाड़ को कम करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिए। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में अधिक सुविधायें होनी चाहियें क्योंकि प्रथम और दूसरी श्रेणी के डिब्बों से होने वाली आय के मुकाबले तृतीय श्रेणी से कई गुना अधिक आय होती है।

रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है किन्तु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है। रेलवे में होने वाली चोरियों की रोकथाम के लिये पुलिस, रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बलों में समुचित समन्वय होना आवश्यक है।

रेलवे में भोजन व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। भोजन देने वाले कर्मचारी सेवा ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। यात्रियों को खाने के पैसों के बदले में मांगने पर भी रसीदें नहीं दी जाती हैं। बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करने पर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती है। इसका मुख्य कारण रेलवे के भोजन विभाग में पक्षपात तथा स्वजन पोषण का बोल बाला है।

रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकें आदि बेचने के लिये "ए० एच० ह्वीलर" फर्म का एकाधिपत्य है। अन्य किसी भी पुस्तक बिक्रेता को स्टेशनों पर अधिक लाभ वाली पुस्तकें बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है। देश के समाजवादी ढांचे में इस प्रकार के एकाधिपत्यों को समाप्त किया जाना चाहिए और अन्य दूसरी फर्मों को भी स्टेशनों पर सभी प्रकार की पुस्तकें आदि बेचने के लिये ठेके दिये जाने चाहियें।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की सेवा संबंधी शर्तें संतोषजनक नहीं हैं। उनकी पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये तथा उनकी पदोन्नति के लिये उपाय निकालने चाहियें।

तीन सीटों वाले शयन डिब्बों में यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। इनमें या तो किसी प्रकार संतोषजनक व्यवस्था की जाय अथवा इन्हें दो सीटों वाले डिब्बों में परिवर्तित किया जाये।

[श्री हेम राज]

क्षेत्रीय तथा खण्ड समितियों में छोटी लाइन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ मुख्य रेलवे लाइन में नहीं है, सरकार को इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया है। चंडीगढ़ में मुख्य लाइन बनाने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें।

कांगड़ा घाटी में छोटी लाइन के स्थान पर मीटर गेज लाइन होनी चाहिये। पौंग बांध बनने के कारण उस क्षेत्र का महत्व बढ गया है। वहां पर सीमेंट, उर्वरक आदि के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। सरकार को इसे ओर ध्यान देना चाहिए।

बहुत से रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की कमी है। दिल्ली स्टेशन पर रात के समय टैक्सी आदि नहीं मिलती है। सरकार को इन सुविधाओं की शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये। रात के समय मनमाना किराया मांगने वाले टैक्सी वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि ठेकेदारों के साथ विभिन्न रेलवे द्वारा किये गये रेलवे करारों में एक प्रकार की समानता नहीं है। इससे रेलवे को बहुत अधिक धन ठेकेदारों को देना पड़ता है। इससे रेलवे की असावधानी का पता चलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे आय व्ययक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती अक्कमा देवी (नीलगिरि) : मैं प्रस्तुत किये गये आयव्ययक का समर्थन करती हूं क्योंकि इसमें यात्री किराये में वृद्धि नहीं की गई है। भाड़ादरों में 'सरचार्ज' के रूप में जो थोड़ी सी वृद्धि की गई है वह नहीं के बराबर है। इस राशि से रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को भत्तों के रूप में अधिक सुविधायें दे सकेगा और उन पर परिवार पेंशन योजना लागू की जा सकेगी।

आय व्ययक में बताया गया है कि रेलवे के व्यय में वृद्धि हो रही है, यह वृद्धि कर्मचारियों तथा यात्रियों की सुविधाओं पर व्यय की जाती है। आय व्ययक में बतायी गयी वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस आय व्ययक की आलोचना की है जो सराहनीय नहीं है। दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेलवे ने काफी संतोषजनक कार्य किया है। माल की ढुलाई के कार्य में भी काफी सुधार हुआ है। रेलों द्वारा यात्रा करने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपातकाल में रेलवे की सेवायें सराहनीय हैं।

रेलों में भीड़भाड़ की समस्या गंभीर है। इस समस्या को हल करने के लिये रेलों में अधिक डिब्बे लगाये जाने चाहियें। विशेष रूप से सोने की व्यवस्था वाले डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यात्रियों को स्थान आरक्षण कराने में कठिनाई होती है आरक्षण इस प्रयोजन के लिये निर्धारित नियम तथा विनियमों के अन्तर्गत किये जायें। संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को जनता के प्रति अधिक शिष्ट व्यवहार करना चाहिये।

रेलवे में भोजन व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है। इसमें खाद्य पदार्थ की किस्म तथा सफाई व्यवस्था में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। साधारणतया रेलगाड़ियों में पुरुष और महिलाओं के लिये स्नानागार एक ही होते हैं। महिलाओं के डिब्बों में स्नानागारों की पृथक व्यवस्था होनी चाहिये।

रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म छोटे हैं जिससे बरसात के दिनों में यात्रियों को रेल से उतरते समय कठिनाई होती है। इसलिये इन प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाना चाहिये जिससे ये कठिनाइयां दूर हो सकें। बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये, स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों तथा शौचालयों की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

फसलों की क्षति वाले वर्ष में, कृषकों के मालभाड़े में रियायत की जानी चाहिये।

श्री अं० शं० आल्वा (मंगलौर): माननीय रेलवे मंत्री कार्यभार संभालने पर पहली बार आय व्ययक प्रस्तुत करने के लिये बधाई के पात्र हैं। देश में माल का परिवहन ८० प्रतिशत रेलों द्वारा किया जाता है। इसलिये इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के परिवहन के लिये रेलगाड़ियां ही मुख्य साधन हैं। इसलिये इस परिवहन को अधिक सुगम बनाने के लिये नई रेलवे लाइनें बनाई जानी चाहियें। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना आवश्यक है। मंगलौर पत्तन के बन जाने से मंगलौर हसन लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। मंत्री महोदय ने बताया है कि मंगलौर स्टेशन से पत्तन तक साईडिंग को बड़ी लाइन में बदला जायेगा।

कदूर से एक रेलवे लाइन, मंगलौर-हसन रेलवे लाइन से सकलेसपुर पर मिलने वाली, बिछायी जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उस क्षेत्र मे पास ही पता लगाई गयी अच्छे किस्म की लौह अयस्क की खानों से निकाला गया खनिज का परिवहन किया जा सके। यह प्रसन्नता की बात है कि गुंटकल से हासपेट तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। मत्रालय को हास्पेट से हुबली तक एक बड़ी लाइन के निर्माण तथा पूना–बंगलौर लाइन को मिराज से बंगलौर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये।

भविष्य मे हुबली कारवार लाइन को येलापुर तक बढ़ाये जाने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। पूना और बंगलौर के बीच जनता गाड़ियां चलाई जानी चाहियें। एक नया रेलवे जोन बनाया जाना चाहिये जिसका मुख्यालय हुबली में हो।

रेलवे द्वारा परिवहन की जाने वाली वस्तुओं का ३८ प्रतिशत अकेले कोयल का परिवहन होता है। कोयले की परिवहन संबंधी कठिनाइयां दूर करने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहियें। कोयले के लदान की व्यवस्था में सुधार किया जाये। लदान के लिये निर्धारित ५ घंटों के समय में वृद्धि की जाये क्योंकि यह समय पर्याप्त नहीं है और लदान निर्धारित समय के अन्दर न होने पर 'डेमरेज' देना पड़ता है। वैगन भी समय पर उपलब्ध किये जाने चाहियें और वैगनों के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर देना चाहिये जिससे लदान समय पर हो सकें तथा 'डेमरेज' नहीं देना पड़े। रेलवे को कोयला खानों की साईडिंग पर तोल पुल बनाने चाहियें क्योंकि बहुत सी छोटी खोनें इनकी व्यवस्था करने मे वित्तीय तौर पर असमर्थ होती हैं।

प्रायः सारे देश के लिये कोयला रानीगंज और झरिया क्षेत्रों से आता है। इसकी ढुलाई की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है जिससे सारे देश मे कोयला आसानी से

[श्र० शं० आल्वा]

पहुंचाया जा सके। इससे आयात किये जाने वाले तेल पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा में बचत होगी। खानों तक जाने वाली साइडिंग लाइनों को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि वहां पर 'बाक्स' प्रकार के वैगन, जो आम वैगनों से अधिक भारी होते हैं, सुगमतापूर्वक आ सकें।

सरकार ने मद्रास में इन्टेगरल कोच फैक्टरी, बंगलौर में हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव आदि की स्थापना करके सराहनीय कार्य किया है।

रेलगाड़ियों में भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है। यात्रियों को अच्छे किस्म का भोजन नहीं मिलता है। भोजन का बिल नहीं दिया जाता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। भोजन व्यवस्था द्वारा दिये जाने वाले भोजन की किस्म तथा सेवा में जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिये। जनता द्वारा इस संबंध में की जाने वाली शिकायतों पर शीघ्र उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : अध्यक्ष महोदय,.....स्वागत करते हुए.....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत समय से इस ओर के किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों के लिये यह आश्चर्य की बात होगी कि कांग्रेस दल के तीसरे सदस्य को बोलने का अवसर दे रहा हूं। इस पर चर्चा के लिये कुछ निर्धारित समय का ६० प्रतिशत कांग्रेस दल को दिया गया है जबकि विरोधी दल के सदस्य ३ घंटे १७ मिनट और कांग्रेस दल के सदस्य २ घंटे ४६ मिनट बोल चुके हैं। इसलिये इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे सब बातों का ध्यान है।

श्री नि० रं० लास्कर : अच्छा आय व्ययक प्रस्तुत करने के लिये मंत्री महोदय के साथ साथ रेलवे कर्मचारी भी अच्छा कार्य करने के लिये धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस विषय पर पिछले तीन दिनों से चर्चा चल रही है। वाद विवाद में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने रेलवे द्वारा माल ढोने, यात्री परिवहन, सामान्य राजस्व तथा अवमूल्यन निधि बनाने के बारे में बड़ी सराहना की है। मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों द्वारा सुधार संबंधी सुझावों पर ध्यान देना चाहिये जिससे इस दिशा में और अधिक सुधार हो सके।

यह प्रसन्नता की बात है कि यात्रा किराये में वृद्धि नहीं की गई है। रेलवे कर्मचारियों को कुछ अधिक सुविधायें देने के लिये जो माल भाड़े में थोड़ी सी वृद्धि की गई है वह सराहनीय है। किन्तु मालभाड़े में प्रति वर्ष कुछ न कुछ वृद्धि करना अच्छे लक्षणों का द्योतक नहीं है चाहे वह वृद्धि नाममात्र की क्यों न हो। इस प्रकार वृद्धि की प्रवृत्ति से मूल्य बढ़ने का खतरा रहता है।

रेलवे में भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा कार्य कुशलता बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये।

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ की समस्या बड़ी गंभीर है। इसे हल करने की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़भाड़ के कारण स्थिति अधिक शोचनीय है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को सभी लाइनों पर जनता गाड़ियां चलानी चाहियें जिससे इस समस्या का थोड़ा बहुत हल निकल सके। नागा विद्रोहियों की गतिविधियों के फलस्वरूप लुमडिंग और डिब्रूगढ़ के बीच जो गाड़ियों की

संख्या में कमी कर दी गई थी उन्हें फिर से चलाया जाना चाहिये जिससे जनता की यातायात संबंधी असुविधायें कम हो सकें। नार्थ बंगाल एक्सप्रेस गाड़ी को सिलिगुड़ी से डिब्रूगढ़ तक चलाया जाना चाहिये। इस एक्सप्रैस गाड़ी में अधिक से अधिक यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जाये। इससे मिजो की पहाड़ियों, कछार जिले तथा त्रिपुरा के निवासियों को लाभ पहुंचेगा।

भूतपूर्व रेलवे मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस बात का यथासंभव ध्यान रखा जायेगा कि गाड़ियां समय पर चलें। इस प्रकार की गाड़ियों की संख्या जो कि देर से चलती हैं बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण पूछने पर कुछ न कुछ बहाना बना दिया जाता है। इस ओर मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये। गाड़ियां तीव्रगति वाली होनी चाहियें, और समय पर चलनी चाहियें।

सरकार को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि चीन के आक्रमण से यह भारत की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे हो गई है।

सिलीगुड़ी से जोगीपाड़ा तक जो बड़ी रेलवे लाइन मंजूर की गई है उसे गौहाटी तक बढ़ाया जाना चाहिये। जोगीपाड़ा से गौहाटी तक लगभग एक सौ मील की दूरी है। इस में रेलवे लाइन बिछाने में लगभग १२ करोड़ रुपये लग जायेंगे। इस लाइन के बन जाने पर इस पर इपना यातायात होगा कि उससे होने वाली आय की बचत से लागत निकल आयेगी। इसलिये सब पहलुओं से इस लाइन का निर्माण लाभदायक सिद्ध होगा।

त्रिपुरा में रलवे लाइनों का सर्वेक्षण शीघ्र किया जाना चाहिये ताकि कम से कम चौथी पंचवर्षीय योजना में तो निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके।

मनीपुर का इस समय सड़क द्वारा ही देश के अन्य भागों से संबंध है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण इसका देश के अन्य भागों से रेलों द्वारा संबंध जोड़ा जाना आवश्यक है। सिलचर से इम्फाल तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। यहां पर संचार तथा परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि यह सीमावर्ती राज्य होने के कारण हमारे लिये विशेष महत्वपूर्ण राज्य है।

प्राक्कलन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में आसाम तथा उत्तर बंगाल के क्षेत्रों में रेलवे संबंधी अधिक सुविधायें देने की सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भंजदेव....अनुपस्थित ; श्री विभूति मिश्र ....अनुपस्थित; श्री द्वा० ना० तिवारी....अनुपस्थित; श्री तुलशीदास जाधव....अनुपस्थित ; श्री तिरुमल राव....अनुपस्थित; श्री नरसिम्हा रेड्डी।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत रेलवे आय व्ययक बहुत अच्छा है। आय व्ययक भाषण में दिये गये आश्वासनों से आशा की लहर दिखाई देती है। यात्री किराये में वृद्धि न करने के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। यद्यपि भाड़ा दरों में बहुत कम वृद्धि की गई है फिर भी अच्छा यह होता यदि रेलवे मंत्री भाड़ा दरों में वृद्धि न कर अपव्यय और धोखाधड़ी को रोक कर धन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते।

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*.]

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि रेलवे दुर्घटनाओं में कमी हुई है। मंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुंजरू प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को पूर्णरूप से क्रियान्वित किया जायेगा। अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण मानवीय गलती बतलाया गया है। परन्तु यह मानना होगा कि रेलवे कर्मचारियों को अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा वे अपनी पारिवारिक या अन्य परिस्थितियों से चिन्तित रहते हैं। रेलवे कर्मचारियों पर बहुत अधिक दायित्व हैं। उनके हाथ में यात्रा करने वाले लाखों लोगों की जिन्दगी रहती है। इस मंहगाई के जमाने में उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिये। यह अच्छी बात होगी यदि मंत्री महोदय उनकी मागों पर रेलवे बोर्ड के स्थान पर स्वयं विचार करें। क्योंकि रेलवे बोर्ड उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करता है।

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पेंशनों में वृद्धि की जाये। उनके स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये निःशुल्क पासों की व्यवस्था की जानी चाहिये। जन्हें चिकित्सा संबंधी सहायता दी जानी चाहिये।

रेलों म भीड़भाड़ की समस्या बहुत गंभीर है। प्रतिवर्ष आय व्ययक भाषण में इस समस्या को हल करने का आश्वासन दिया जाता है। किन्तु अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ रेलगाड़ियां और चलाने से समस्या का हल नहीं हो सकता है। भीड़भाड़ कम करने का एकमात्र तरीका लम्बी दूरी तक जाने वाली गाड़ियों के साथ साथ अधिक शटल गाड़ियां चलाना है जिससे रेलगाड़ी में स्थान न पा सकने वाले यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ल जाया जा सके। गत वर्ष इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा था। उत्तर में उन्होंने और अधिक संख्या में जनता गाड़ियां चलाने का आश्वासन दिया था।

रेलवे बोर्ड ने जनता गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी। उसकी उपेक्षा की गई है। यदि जनता गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो भीड़भाड़ कम नहीं की जा सकेगी।

छोटी लाइन पर तृतीय श्रेणी के डिब्बों की हालत ठीक नहीं है। रेलवे प्रशासन उन लाइन पर अधिक ध्यान रखते हैं जिन पर राजनैतिक प्रतिष्ठित व्यक्ति यात्रा करते हैं

गलियारे वाले डिब्बों की भी सबने निन्दा की है। इन में बीच की जगह बहुत कम होती है। आशा है माननीय मंत्री डिब्बों की व्यवस्था स्थान आदि के सुधार के संबंध में ध्यान देंगे।

ट्रेनों में दिया जाने वाला भोजन भी अच्छा नहीं होता। कभी-कभी यह ठीक से पका हुआ भी नहीं होता। रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले चाय पान गृहों और डिब्बों में छोटी-मोटी चोरियां होती हैं। इन्हें रोकने के लिये उच्च वेतन पाने वाले निरीक्षक नियुक्त किये जायें। रसोइये भी खाना ठीक से पकाने की ओर ध्यान नहीं देते। यदि जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर ध्यान दिया जाये तो यह कमियां दूर हो सकेंगी।

हर्ष की बात है कि कुछ स्टेशनों से निर्यात के लिये बम्बई ले जाये जाने वाले केले पर भाड़ा कम लिया जायेगा। आम और पानों का भी निर्यात काफ़ी होता है। अतः इनके संबंध में भी भाड़ा कम कर दिया जाये। दिल्ली से भी आम लादने के लिये मौसम के दिनों में डिब्बे नहीं मिलते। आम स्टेशन पर पड़े सड़त रहते हैं।

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : हम मौसम के दिनों में इसके लिये विशेष व्यवस्था करते हैं। गत वर्ष कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : मैं ने गत वर्ष और इसके भी पहले वर्ष श्री स्वर्णसिंह से शिकायत की थी। तब स्थिति को ठीक किया गया।

मुझे हर्ष है कि माननीय उपमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया हुई।

श्री नाथपाई (रायपुर) : वे ऐसा दिखा रहे हैं मानों उन्हें काफी आश्चर्य हो रहा हो।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : यदि डिब्बे देने में विलम्ब होता है तो यह इस बात का संकेत है कि संबंधित अधिकारी अपनी मुट्ठी गरम करना चाहते हैं।

रेलवे मंत्री ने कहा है कि फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने का सारा खर्च रेलवे प्रशासन वहन करेगा। किन्तु राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं कि वे पहुंच मार्गों के निर्माण का व्यय वहन कर सकें। मेरा सुझाव है कि राजमपेट, नन्दालूर और कमलापुरम में भूमिगत पुल बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये।

रायलसीमा के चित्तूर, कुरनूल, बेलरी, अनन्तपुर आदि जिलों में रेलवे लाइन बिछानी चाहिये। रायलसीमा में खनिज पदार्थ बहुतायत से मिलते हैं। यदि वहां रेल चालू कर दी गई तो इससे रेलवे को काफ़ी लाभ होगा और इस अविकसित क्षेत्र को भी लाभ पहुचेगा।

दक्षिण में एक और ज़ोन बनाये जाने की आवश्यकता है। उसका मुख्य कार्यालय गुटक्कल में रखा जाये।

श्री केप्पन (मुवातपुर्जा) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि किराये और पार्सल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह भी हर्ष का विषय है कि रेलवे विकास संबंधी व्यय का एक तिहाई भाग स्वयं अपने संसाधनों से व्यय करेगा। रेलवे ने आपातकाल में काफी सराहनीय कार्य किया है।

कुंजरू समिति के दुर्घटना संबंधी प्रतिवेदन में बतलाया गया है कि अधिकांश दुर्घटनाओं के लिये कर्मचारी ही दोषी हैं। माननीय मंत्री को चाहिये कि कार्य-कुशलता की ओर ध्यान दें।

मंत्री महोदय ने कहा है कि अब माल के यातायात के संबंध में रेलवे की क्षमता पूर्ण है। अतः अब यात्री यातायात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। रेलों में, विशेषकर दक्षिण में, काफी भीड़ होती है। केरल प्राकृतिक सौन्दर्य का भंडार है। यदि समुचित प्रचार किया जाये और यात्रा संबंधी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी जायें तो केरल में यूरोप और अमरीका के काफी पर्यटक आने लगेंगे। किन्तु उन्हें यात्रा संबंधी सुविधायें नहीं मिलतीं। दिल्ली में अथवा मद्रास में, कहीं भी देखिये ७०–८० व्यक्ति प्रथम श्रेणी की प्रतीक्षा-सूची में मिलेंगे। इन कठिनाइयों को पार करके वे एरनाकुलम तक पहुंच भी जायें तो उन्हें आगे जाने के लिये सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं। एरनाकुलम से क्विलोन तक एक मीटर गेज लाइन है। इस पर चलने वाली गाड़ियों के

[श्री केप्पन]

डिब्बे पुराने हैं। केरल घनी जन संख्या वाला क्षेत्र है। स्कूल और कालेजों की संख्या काफी है। विद्यार्थियों को यात्रा करने में काफी कष्ट अनुभव होता है। उन्हें आसानी से स्थान उपलब्ध नहीं होता। अतः इस क्षेत्र में और अधिक गाड़ियां चला दी जायें।

नई लाइनों के लिये ८०·८४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। किन्तु केरल में एक मील लाइन बनाने की भी व्यवस्था नहीं की गई।

बोदी से कोचीन बन्दरगाह तक रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव था उस संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा। इस लाइन का कार्य आरम्भ कर दिया जाये। यह पर्यटकों के लिये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और वह उन लोगों के लिये भी लाभदायक होगा जो काली मिर्च आदि निर्यात किये जाने वाले सामान का उत्पादन करते हैं।

दिल्ली से वहां तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं। अतः दिल्ली से कोचीन तक सीधी ट्रेन चला देनी चहिये। हवाई जहाज़ से वहां पहुंचने में भी २ दिन लगते हैं और उसमें स्थान प्राप्त करने में भी काफ़ी कठिनाई अनुभव होती है।

केरल के रेलवे स्टेशनों में भी पूर्ण सुविधायें उपलब्ध नहीं है। एरनाकूलम जैसे स्टेशन पर पाखाने आदि की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं है।

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : श्रीमान्, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने रेलवे के कार्य की सराहना की है। साथ ही कुछ आलोचना भी की गई है। श्री कपूरसिंह ने कहा है कि रेलवे मंत्री सड़क परिवहन को एक घणायोग्य प्रतिद्वन्दी के रूप में देखते हैं। श्री भागवत झा आजाद ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। श्री नियोगी के त्यागपत्र का भी उल्लेख किया गया।

रेलवे प्रशासन रोड परिवहन के प्रति कोई विभेद नहीं रखता। श्री नियोगी द्वारा आरम्भ किया गया कार्य जारी रखा जायेगा। निस्संदेह समिति रेल-सड़क समन्वय क संबंध में उपयोगी सिफारिशें देगी। श्री कपूर सिंह का यह कहना कि रेलवे अपनी आय का अनुमान कम करके लगाती है उचित नहीं है। पिछले सात वर्षों में पुनरीक्षित प्राक्कलन और वास्तविक आंकड़ों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा। इस लिये यह आरोप सत्य नहीं है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि यदि मितव्ययिता की जाये और कार्य-कुशलता बढ़ाई जाये तो भाड़े की दरों में जो यह थोड़ी बहुत वृद्धि की गई है इसकी भी आवश्यकता न रह। इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि रेलवे में यथासंभव मितव्ययिता की गई है और काफी कुशलता से कार्य किया जाता है। भारतीय रेलवे के कार्य सम्पादन के बारे में "समीक्षा" नामक पुस्तिका को देखने से जो माननीय सदस्यों को वितरित की गई है यह सब स्पष्ट हो जायेगा। किराये में ३६ प्रतिशत और भाड़े में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि कर्मचारियों पर किये जाने वाले व्यय में ५५ प्रतिशत, कोयले के मूल्य में ५६ प्रतिशत और इस्पात के मूल्य में ९२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मितव्ययिता और कार्य कुशलता के कारण ही ऐसा होना संभव हुआ है। निर्यात किये जाने वाले पदार्थों के भाड़े में और विद्यार्थियों के किराये में छूट दी जाती है। सब्जी, फल आदि अन्य खाने के सामान के संबंध में भी रियायत की जाती है।

पुस्तिका के पष्ठ २२ पर दिखाया गया है कि हमने जिनों और डिब्बों का पूर्ण उपयोग किया है। १९५०–५१ में एक इंजिन १२२ किलोमीटर प्रतिदिन सफर करता था

जब कि १९६२–६३ में ·३७ किलोमीटर। डिब्बों के प्रयोग में भी अधिक कुशलता बरती गई है। १९५०–५१ में एक डिब्बा प्रतिदिन ६२·३ किलोमीटर सफर करता था और १९६२–६३ में ७६·४ किलोमीटर। अन्य देशों में तत्स्थानी आंकड़े इस प्रकार हैं : अमरीका में ६७·१ जर्मन फेडेरल में ५७·४ फ्रान्स में ५१·३ और ब्रिटेन में १४·६। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे यहां रेलवे की कार्यकुशलता सबसे अधिक है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां किराया और भाड़ा अन्य पड़ौसी देशों की अपेक्षा सब से कम है।

Shri Sheo Narain (Bansi) : It has increased by five or six times.

श्री शाहनवाज खां : फिर भी यह दुनियां मे सब से कम है।

मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि सुधार के लिये कोई स्थान नहीं है। हम रेलवे की कार्य कुशलता बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।

श्री द्विवेदी ने कहा कि दुर्घटनायें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि रेल दुर्घटनाओं में कुल १२३ व्यक्ति मरे हैं।

गंभीर दुर्घटनायें या तो टक्कर लगने से होती हैं या गाड़ी के पटरी से उत्तर जाने से। गत तीन वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी हुई है। १९६०–६१ में कुल २३७४ दुर्घटनायें हुई, १९६१–६२ में २०८४ और १९६२–६३ में २०३०। कुंजरू समिति ने कहा है कि आधिकांश दुर्घटनाओं के लिये कर्मचारी दोषी हैं। हम इस कारण को दूर करने का यथा संभव प्रयत्न कर रहे हैं। हम और अच्छे प्रकार की सिगनल की व्यवस्था कर रहे हैं। कर्मचारियों को अधिक अच्छा प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध किया गया है। हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि गाड़ियों को चलाने वाले और उसकी सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों की संख्या में कमी न हो।

रेलवे की स्थायी समझौता व्यवस्था और श्रम संबंधी के बारे में कई सदस्यों ने काफ़ी चिन्ता व्यक्त की है। रेलवे में स्थायी समझौता व्यवस्था के तीन सोपान हैं पहला डिवीजनों के स्तर पर, दूसरा रेलवे बोर्ड के स्तर पर और तीसरा मध्यस्थों के स्तर पर। यह संघों के सहयोग से कार्य करते हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह व्यवस्था असफल सिद्ध हुई है। उनके लिये मेरा यह उत्तर है कि १९५७–५८ में पहले स्तर पर १०१७ बैठकें हुईं, २६६७३ मामलों पर चर्चा हुई और २२१६७ मामले निपटाये गये।

डा० मा० श्री अणे : विचार-विमर्श में कुल कितना समय लगा ?

श्री शाहनवाज खां : काफ़ी समय लग जाता है विशेषकर जब एक से अधिक कार्मिक संघों से व्यवहार करना पड़ता है। हर संघ चाहता है कि उसके मामले को पृथक से लिया जाये। एक ही कार्मिक संघ होता तो अधिक अच्छा था। कुंजरू समिति की भी यही सिफारिश थी।

श्री अन्वारेस : क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं, श्री बनर्जी और श्री निम्बयार की यह शिकायत है कि दक्षिण और पश्चिम रेलवे पर पर्याप्त संघों को मान्यता नहीं दी गई है।

श्री नम्बियार : नहीं श्रीमान्, हम तो यह चाहते हैं कि जो सूत्र रेलवे प्रशासन ने अपनाया है उसे समान रूप से मान्यता दी जाये।

श्री शाहनवाज खां : इसी प्रकार रेलवे बोर्ड के स्तर पर १९६०-६१ में ३ बैठकें हुई थीं, ८८ विषयों पर चर्चा हुई और सारे मामले निबटाये गये। मध्यस्थ के पास १६ मामले भेजे गये और उसने सब पर अपना निर्णय दिया। रेलवे ने सब को स्वीकार कर लिया ।

श्री नम्बियार : इन वर्षों मे केवल एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया और सारे मामले इसी को सौंप गये।

श्री शाहनवाज खां : कुछ सदस्यों ने कहा है कि वे ह्विटल परिषदों को पसन्द नहीं करते । एक समय ऐसा था जब रेलवे बोर्ड संघ के साथ वार्ता करने के लिये तैयार नहीं होता था । इसके बाद वार्ता हुई और हम इस बात से सहमत हो गये कि राष्ट्र के हित में हड़तालें न की जायें । हमने सोचा कि समझौता व्यवस्था कायम करने से हड़तालें रुक जायेंगी । किन्तु १९६० में देश व्यापी हड़ताल करने का आह्वान कर दिया गया । देश को १० करोड़ रुपये से अधिक की हानि उठानी पड़ी । हड़ताल के असफल होने पर हम से कहा गया कि रेलवे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कड़ा कदम न उठाये।

लिलुवा कर्मशाला में मजदूर सप्ताह में ४८ घंटे कार्य करने के लिये सहमत हो गये थे। किंतु फिर उन्होंने कहा कि वे ४२ घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे । वे कार्यप्रबंधक के कार्यालय में चल गये। फर्नीचर को तोड़ फोड़ दिया और उसे धमका कर उससे कुछ बातें लिखवा लीं। फलस्वरूप कार्यशाला बन्द कर दी गई और रेलवे को ५० लाख रुपये से अधिक की हानि हुई । अब रेलवे मजदूर उन दिनों का वेतन मांगते हैं जिन दिनों कार्य-शाला बन्द रही। ४२ घंटे काम करने की मांग का क्या औचित्य है ?

श्री नम्बियार : कई वर्षों से वे इतने ही घंटे कार्य करते रहे हैं ।

श्री शाहनवाज खां : यह वेतन आयोग की सिफारिश थी । आप सब जगह समान स्तर चाहते हैं। फिर इस बात से सहमत क्यों नहीं होते ?

श्री नम्बियार : वह परस्पर सहमति से हो सकता था । आदेश देना उचित नहीं था ।

श्री शाहनवाज खां : कुछ सदस्य प्रोत्साहन योजना के पक्ष में और कुछ विपक्ष में बोल हैं। जहां कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ वहां पर यह योजना सफल रही है ।

श्री अ० प्र० शर्मा ने सुझाव दिया है कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये और अधिक स्कूल होने चाहिये। इस समय रेलवे के अधीन ७१५ स्कूल हैं। शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है । जहां शिक्षा की सुविधायें नजदीक में उपलब्ध नहीं है वहां रेलवे अपने उत्तर दायित्व को निभाता है । मसूरी में ओक ग्रोव स्कूल मे ६०० बच्चे पढ़ते हैं। यह काफ़ी अच्छा स्कूल है ।

भीड़-भाड़ के संबंध में हमें जानकारी है । लेकिन संसाधनों की कमी है । पहले माल के यातायात की व्यवस्था करनी पड़ती है । रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि आगे से यात्रियों की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । १ अप्रैल, १९६४ के बाद से हम कई नई गाड़ियां चला रहे हैं।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : क्या अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई नई गाड़ी चलाई गई है ।

श्री शाहनवाज खां : नहीं । उस सेक्शन पर भीड़ है किन्तु उस लाइन पर पहले ही इतनी गाड़ियां चलती हैं कि गाड़ियों की संख्या और नहीं बढ़ाई जा सकती है । हम इसका उपाय कर रहे हैं। लाइनों को दुहरा किया जा रहा है । कुछ स्टेशनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, डीजल इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

लंबी दूरी के स्थानों के बीच सीधे जाने वाले डिब्बों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी । दिल्ली-बंगलौर और दिल्ली करांची के बीच एक-एक "प्रथम श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी" का एक डिब्बा सप्ताह में दो बार चला करेगा। दिल्ली–कोचीन के बीच एक सीधा डिब्बा चलाने पर विचार किया जा रहा है । एक-एक करके सारी कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है ।

आसाम से आये माननीय सदस्य ने कहा कि आसाम संचार साधनों के संबंध में काफी पिछड़ा हुआ है। वहां कई नई लाइनें बनाई जा रही हैं। रंगपाड़ा उत्तर और लखीमपुर के बीच की लाइन पर १५ जनवरी, १९६३ से यातायात शुरू हो गया है। उत्तर लखीमपुर और गोगामुख के बीच १ मार्च, १९६४ से माल का यातायात आरम्भ होने की आशा है। यह क्षेत्र बहुत दुर्गम और जंगली हाथी हमारे कर्मचारियों को मार डालते हैं। इस लाइन से असम को बहुत लाभ होगा।

कलकलीघाट–धर्मनगर लाइन पर माल का यातायात १५ मार्च, १९६४ से शुरू होने की आशा है। सिलीगुरी से जोगीगोपा की लाइन बन रही है। असम में इन लाइनों का सामरिक महत्व है और उसके निर्माण में प्रगति हो रही है।

पता नहीं श्री त्रिवेदी रेलवे के निगरानी संगठन से क्यों नाराज़ हैं। इस संगठन ने बहुत से मामले निबटाये हैं जैसे १९६२–६३ में ३५० और १९६१–६२ में ३५० मामले निबटाये गये थे। उन्होंने धोखाधड़ी के बड़े बड़े मामलों का पता लगाया है और कोयले डीजल तेल और तांबे की तारों की चोरी को रोका है।

हम कोयले की बड़ी बड़ी खानों तौल-यंत्र लगा रहे हैं। टी० टी० ई० को गाड़ी के साथ चलने का भत्ता नहीं दिया जाता क्योंकि वे गाड़ी के संचालन का काम नहीं करते। उन्हें दूसरे प्रकार का भत्ता दिया जाता है।

इस बात की आलोचना की गई है कि रेलवे क्वार्टरों का किराया बढ़ा दिया गया है। ऐसा वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार किया गया है। उन्होंने मकान की कीमत में भूमि की कीमत लगा कर किराया लेने की सिफारिश की थी किन्तु हमारा अनुरोध था कि इससे कर्मचारियों पर बहुत बोझ पड़ेगा।

श्री नम्बियार ने नियम १४८ और १४९ का विरोध किया है। उच्चतम न्यायालय ने भी इनके विरुद्ध निर्णय दिया है और इस अभियोग से संबंधित लोगों को फिर से नौकरी में ले लिया गया है। अन्य मामलों की जांच विधि मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

[श्री शाहनवाज खां]

अनेक माननीय मित्रों ने गाड़ियों के समय पर न चलने की बात कही थी। इस स्थिति में काफी सुधार हुआ है। १९६१–६२ में बड़ी लाइन पर ८४.४८ प्रतिशत गाड़ियां समय पर चलती थीं और १९६३–६४ में यह प्रतिशतता ८७.२ हो गई थी। हमें आशा है कि यह १०० प्रतिशत तक हो जायेगी।

श्री त्रिवेदी ने कहा था कि रेलवे मंत्री की सहायता निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है और कि एक गजेटड अधिकारी को इसमें से ७५०० रुपये दिये गये थे। इस निधि में रेलवे राजस्व से पैसा नहीं दिया जाता है बल्कि सारा पैसा रेलवे कर्मचारियों और गजेटड अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाता है। गजेटड अधिकारियों की पत्नियों का भी इसमें बहुत योगदान होता है और वे अधिकारी भी इस निधि से लाभ उठा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के इकलौते बच्चे को दिल की बीमारी हो गई थी और एक सुयोग्य डाक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि उनका इलाज सिर्फ अमरीका में ही हो सकता है। उसे चार पांच डालर की जरूरत थी। ऐसी दयनीय स्थिति में उस अधिकारी को यह अनुदान दिया गया था।

श्री नम्बियार : यदि ऐसी परिस्थितियां है तो हम उसकी सराहना करते हैं।

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट सफर करते हैं। हम इस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

अन्य विषयों के बारे में रेलवे मंत्री बता चुके हैं और उपमंत्री भी बताएंगे। अत: मुझे इतना ही कहना है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मुझे रेलवे मंत्री से बहुत आशाएं थीं। मैं ने प्राक्कलन समिति में उनके साथ किया है और मैं जानता हूं कि वे कितने श्रमशील हैं।

किन्तु मेरा विचार है कि अभी तक अंग्रेजी शासन की तरह ही बजट तैयार किया जाता है और उसमें कोई मौलिकता या राष्ट्रीयता का समावेश नहीं हुआ।

१९६४–६५ में भाड़े में २ प्रतिशत वृद्धि की गई है। कल्पना कीजिए संशोधित अनुमान में पता लगता है कि बजट में राजस्व की जो व्यवस्था की गयी थी वह वास्तविक राजस्व से कम थी। ऐसी स्थिति में सरकार कर लौटाती नहीं। १९६०–६१ के ४५७ करोड़ की कुल आय १९६४–६५ में बढ़ कर ६२२ करोड़ रुपया हो गई है। इसी अवधि में कार्यसंचालन व्यय में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। रेलवे की वित्तीय स्थिति यह है कि ३७.७५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि है किन्तु वर्तमान बजट में अधिशेष ३०.८७ करोड़ रुपया दिखाया गया है।

भाड़े में वृद्धि करने के लिए जो तर्क दिये गये हैं वे न्यायसंगत नहीं हैं। उससे ११ करोड़ रुपये की आमदनी होगी जो कुछ राशियों में समायोजन करके और कुशलता बढ़ा कर भी की जा सकती है। इसका भार तो जनता पर ही पड़ेगा निर्माताओं और व्यापारियों पर नहीं।

मेरी शिकायत यह है कि रेलवे का कार्य अब भी बिना किसी स्पष्ट आयोजन के चल रहा है। राष्ट्रीय यातायात के समन्वय संबंधी समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया गया है भारतीय रेलवे की व्यय पद्धति बजट संबंधी और सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकताओं पर आधारित है। जब तक वे अपने लाभ और देश के लाभ के लिए आयोजन नहीं करते, जब तक भाड़ा ढांचा परिवहन लागत और राष्ट्रीय मांगों और आवश्यकता पर आधारित नहीं होता रेलवे विभाग दीवालिया हो जायगा।

जब श्रमिक कुछ मांगते हैं या जनता कुछ सुविधाओं की मांग करती है तो मंत्रालय यह तर्क देता है कि रेलें जनता के लाभ के लिये है किन्तु भाड़े और किराये बढ़ाते समय इसे वाणिज्यिक समवाय बनाया जाता है। यदि रेलवे विभाग जनता की उपयोगी सेवा करता है तो इसे राष्ट्र और रेलवे कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाना चाहिये।

नई लाइनों, डिब्बों और मालडिब्बों के निर्माण के संबंध में पुराने ही विचार काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे को वह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जो अन्य विकसित देशों में उपलब्ध है। उन्हें तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित देशों के स्तर पर आना चाहिये। २० टन के डिब्बों की बजाय ५०, १०० या ५०० टन क डिब्बे होने चाहियें। उन्हें भी वही इंजन खरीद सकेंगे।

थोड़े फासले का मालयातायात रेलवे को नहीं लेना चाहिये। कोयले का १०० मील तक परिवहन ट्रकों द्वारा किया जा सकता है। रेलवे लाइनों संबंधी पुराने विचारों को छोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार आईलैण्ड प्लैटफार्म बनाये जाऐं तो आने वाली और जाने वाली गाडियां भिन्न प्लेटफार्मों पर आ जा सकेंगी और शंटिंग में जो समय व्यर्थ जाता है वह बच जायेंगा।

माल डिब्बों की बहुत सी क्षमता व्यर्थ चली जाती है। इसे रोकना चाहिये।

कुछ गाड़ियां इतने अधिक बार नहीं चलनी चाहिये जितनी अधिक बार वे चलती हैं क्योंकि उन लाइनों पर इतनी सवारी नहीं होती। इस समस्या का हल होना चाहियें।

सामान की खरीद में बहुत धांधली होती है। अमरीका और आस्ट्रेलिया से स्वीपरों की खरीद के बारे में प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति ने इस बात का उल्लेख किया है।

भले ही रेलवे को सड़क परिवहन के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं किन्तु प्रश्न यह है कि सड़क परिवहन में रेलवे का योगदान क्या है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। रेलवे और ट्रकों द्वारा ढोये जाने वाले माल का वर्गीकरण होना चाहिये। मीटर गेज पुरानी पद्धति है इसके स्थान पर बड़ी लाइन बनानी चाहिये।

रेलवे बोर्ड के समरूप बहुत रूढ़िवादी है और उनमें नौकरशाही की धारणायें हैं। वहां ऐसे लोग होने चाहियें जो सक्रिय हों और आधुनिकतम धारणाओं के स्वामी हों।

अन्य बातों के बारे में मैं सलाहकार समिति में चर्चा करूंगा।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण शिक्षा वर्ष की समाप्ति पर होना चाहिये ताकि वे बच्चों को नई जगह स्कूलों में दाखिल करवा सकें।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़—उत्तर) : माननीय सदस्यों ने रेलवे से भिन्न विषयों के बारे में बहुत कुछ कहा है। श्री वारियर का कहना है कि नई लाइनें राजनैतिक दबाव के कारण बनाई जाती हैं तब तो उनका वर्गीकरण बड़ी और छोटी लाइनों की बजाय साम्यवादी और प्रजा समाजवादी लाइनें होना चाहिये।

मैं नये रेलवे मंत्री के समृद्ध अनुभव के लिए उन्हें बधाई देती हूं। और सभी स्तर पर काम करने वाले १२.५ लाख रेलवे कर्मचारियों को भी बधाई देती हूं कि उन्होंने रेलवे का संचालन कुशलतापूर्वक किया है।

जनता यह आशा कर रही थी कि किरायों में कोई वृद्धि नहीं होगी कि उन्हें यह देख कर निराशा होती है कि हर वर्ष किराये और भाड़े में वृद्धि कर दी जाती है। २ प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव कोयले के परिवहन पर भी पड़ेगा और फासले के बढ़ने के साथ ही भाड़े में और अधिक वृद्धि होगी जिससे सामान्य उपभोक्ता को हानि होगी। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

[डा० सरोजिनी महिषी]

आजकल नई लाइनों का निर्माण इन कारणों से किया जाता है जैसे प्रतिरक्षा, उद्योग और वाणिज्य, वनों तथा अन्य संसाधनों से लाभ उठाना, यात्रियों के लिए सुविधाएं पैदा करना, विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देकर डालर व्यवस्था आदि । किन्तु हुबली से कारवार तक लाइन बनाने के लिए बहुत समय से मांग की जा रही है पर अभी तक कुछ नहीं किया गया और उत्तर कनारा के वनों से लाभ नहीं उठाया जा रहा।

केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष डंडेली की अदनानेर की लाइन का काम हाथ में लिया था किन्तु अभी तक वहां पुराने इंजन और ध्वस्त डिब्बे चल रहे हैं। इस लाइन पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिये।

जापानी विशेषज्ञों का मत है कि धारवाड़ प्राकृतिक बंदरगाह है किन्तु रेलवे और परिवहन तथा संचार मंत्रालय के बीच समन्वय न होने के कारण न तो वहां तक रेलवे लाइन बन रही है और न ही उस बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है।

माननीय मंत्री ने बताया कि बहुत सी नई लाईनों का निर्माण हो रहा है और कुछ छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में परिणित किया जा रहा है। वतमान हौस्पेट-लोन्डा छोटी लाईन बड़ी लाईन में बदलने के बारे में उन्होंने बताया कि यह इस शर्त पर हो सकती है जबकि यदि हौस्पेट-बेलारी क्षेत्र से कच्चा लोहा मिलने की सम्भावना हो। इस बारे में मुझे यह कहना है कि कच्चे लोहे का एक-तिहाई भाग मैसूर राज्य से आता है और चितलद्रुग से लोहे का निर्यात मद्रास और कोचीन के जरिये किया जाता है। अब आप मरमागोआ का विकास कर रहे हैं। इसलिये हुबली और मरमागोआ तक बड़ी लाईन होनी चाहिए ताकि वहां से लोहे का निर्यात किया जा सके।

जैसे पूर्वी तट पर मद्रास खंड है वैसे ही पश्चिमी तट के विकास के लिये हुबली को खंडीय प्रधान कार्यालय बनाया जाना चाहिए।

दक्षिण खंड परिषद में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिरक्षा एवं औद्योगिक केन्द्रों को मिलाने वाली सभी लाईनें बड़ी होनी चाहिएं। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस पहलू पर अधिक ध्यान देगी।

अब हसन-मंगलौर लाईन भी मंजूर हो चुकी है। परन्तु यदि वहां मीटर गेज लाईन बनाई गयी तो उस की क्षमता कम होगी। इस लिये, बैहतर है यदि पहले ही वहां बड़ी लाईन बनायी जाय, ताकि बाद में उसे बदलना न पड़े।

गोआ की काफी समय तक अवहेलना की जाती रही है, इस लिये अब उसके विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्को और मरगोआ के स्टेशनों पर विश्राम गृह आदि की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिएं।

रेलवे कर्मचारियों को जहां अन्य सुविधायें दी जा रही हैं, वहां चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और इंजीनियरिंग स्टाफ के लिये, जो प्लेटफार्मों आदि पर काम करते हैं, वर्दी का उपबन्ध और होना चाहिये।

निवृत्ति-वेतन की योजना अब आम कर्मचारियों के लिये लागू कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि वह निवृत्ति-वेतन प्राप्त लोगों पर भी लागू की जाय ताकि वहां भी उससे लाभ उठा सकें। ऐसा करने से कोई व्यय भी अधिक नहीं होगा।

रेलवे प्रशासन में काफी सुधार हुआ है, दुर्घटनायें भी कम हुई है। उन्होंने इंजिनों के कार्यों के बारे में कहा कि उनमें काफी सुधार हुआ है, परन्तु लोग उस बात को तभी मानेंगे जब वह व्यवहार में यह बात देखेंगे।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : I congratulate the hon. Minister for presenting such a good budget.

A very encouraging picture has been painted regarding the performance of Railways. But, I feel, a little attention has been given to the backward areas of Eastern U.P.

It is very heartening that no increase in railway fare is envisaged in this budget. Particular attention should be given towards improving Railways, since this is largest public undertaking in our country.

Particularly I want to congratulate the 12 lakh employees of this Department whose performance has been remarkable.

If all the tracks in the country are converted into broad gauge, it will help the industries. Provision should particularly be made regarding broad gauge tracks in the Eastern U.P., expecially in Devaria, Gorakhpur, Basti, Ajamgarh etc. Barauni should be linked with Gorakhpur and Banaras with Batni.

A direct train from Banaras upto Madras should be introduced since much difficulty is being experienced by the people due to the absence of a direct train on this route.

The surplus shown in the Railway Budget can be much more, if corruption is eradicated and if the workers work more efficiently.

Passengers travelling in Third Class compartments have still to suffer great hardships due to overcrowding. Since our Ministers travel in the First Class compartments, therefore they can hardly appreciate the sufferings of other people. All round developments made will be appreciated by the masses only if they are provided with sufficient accommodation in the trains. Moreover, third class passengers are provided with the least facilities though Railway earns most from them. Government of a democratic country must pay heed to the convenience of the masses of the people.

डा० सरोजनी महिषी पीठासीन

[Dr. Sarojani Mahishi *in the Chair*]

On some stations we have departmental catering whereas on the others contract system is prevalent, but people are not satisfied with either of the two. Therefore, steps should be taken to improve the catering conditions.

In order to reduce the number of railway accidents, all the recommendations of the Kunzru Committee should be implemented. Rules should be framed in order to lessen the number of accidents occurring due to the failure of human element.

Since the State Governments are engaged in their regional problems, request that Railway Ministry itself should arrange for manning the unmanned railway crossings. It will help reducing the number of accidents at the Railway crossings.

I come from the Salempur Constituency. In that area not even railways, but other automobiles are available for miles together. In the budget itself there ought to have been a provision of broad gauge railway lines for that area. I request the hon. Minister to allude it while replying to the Debate and tell us the time by which more railway tracks will be laid there.

[Shri Vishwa Nath Pandey]

There ought to be a broad gauge line between Varanasi and Bhatni. On the stations like Naunapur, Bankata, Larode, etc., proper facilities are not provided for the passengers. Hence attention should be given to that.

A broad gauge line, linking Barauni, Gorakhpur and Basti, would help the industries very much.

There is one Bhagalpur Bridge on Titarpur-Bailthara Road. I submit, that a footpath be constructed there to facilitate the passengers, and the Railway Ministry may itself bear the cost of that.

To come to Delhi we have to catch Avadh-Tirhut Mail, which leaves us at Lucknow, wherefrom only two trains are available for Delhi. Usually the Avadh-Tirhut Mail is late by two hours or so, with the result that we miss them. Therefore, I suggest that the Avadh-Tirhut Mail be extended upto Kanpur wherefrom a number of trains are available for Delhi.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): Between 6 to 11 A.M. four trains are available from Delhi to Rohtak, but between 11 A.M. to 5 P.M. not a single train is available. This state of affairs should be enquired into and remedied.

For going to Sampla, one train leaves Vinay Nagar and goes upto Shakurbasti. I suggest that this train be extended upto Rohtak, in order to facilitate thousands of passengers.

Bahadurgarh area has become a suburb of Delhi. Thousands of people travel daily between Delhi and Bahadurgarh. But this short distance is covered by the train in one and a quarter hours, which causes a great inconvenience to the passengers. Moreover, accommodation in the train is very limited. I request that both these things should be remedied.

I also suggest that there should be a double track upto Bahadurgarh.

Keeping in view the safety of the trains and engines, there should be a provision for shed at Rohtak Station. Trains between Bahadurgarh and Rohtak should halt at Sampla station. There should be a railway track from Panipat upto Rewari. It will remove the inconvenience caused to passengers, and also add to the income of Railways.

Lack of culverts in our area, especially at the low-level places, has contributed greatly to floods. Culverts should be provided to allow the water collected to pass.

Railway Board has rightly upgraded certain Station Masters. But in order that their favourite people should get this benefit, the officers bring in their people as Assistant Station Masters, those already working as an Asstt. Station Master are transferred to the signal side. This is how nepotism creeps in. A remedy must be found out to counter such malpractices.

Corruption on the goods booking side of the Railways is rampant. In order to book some goods, one has to offer bribe to the Railway employees. It has become almost a regular practice. This fact has been brought to the notice of the Vigilance Branch a number of times. Several letters have been written. In effect, they transfer a corrupt employee for some time and bring him back again. On the other hand, action is always taken against a poor third class passenger travelling without ticket. Such things should be enquired into and proper action should be taken against those found responsible for malpractices.

Such cases have come to notice where the Railway staff dupes the poor and innocent passengers by charging undue amounts. The police, Railway officers and even the Anti-corruption Committee are involved in corruption. I urge on hon. Minister that efforts should be made to find out the culprits and they should be given deterrent punishment.

I will cite an example here to show how the staff on duty and even the Station Masters do not pay heed to complaints of corruption. I brought one case to the notice of one Station Master who asked me : "Who are you to interfere" ?When I told him that I was a Member of Parliament, he was ashemed of his conduct.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

I request that such malpractices should be given an end to in the Railways which serve a vast humanity of this country.

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले): रेलवे की आय भी बढ़ी है और इस के कार्यों में सुधार भी हुआ है जिसके लिए माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं।

आसाम और उत्तर बंगाल में, जोकि सामरिक महत्व के स्थान हैं, नई लाईनें बिछाने की नीति का समर्थन करता हूं। कच्चे लोहे के निर्यात की दृष्टि से विरुधुनगर-मनमदुरै और होस्पेट—गुंटाकुल लाइनें जो बिछाई जा रही हैं मैं उसका भी स्वागत करता हूं ।

बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं की दृष्टि से पूना–मिरड मीटर गंज लाईन को बड़ी लाईन में बदला जा रहा है परन्तु यह योजना अपर्याप्त रहेगी यदि इसे मिराज के जरिये कोल्हापुर तक न बढ़ाया गया। ८० से ९० प्रतिशत यातायात उसी क्षेत्र से होता है। इस क्षेत्र में चीनी और गुड़ का उत्पादन काफी मात्रा में होता है, और सर्वेक्षणों के अनुसार यहां कच्चे लोहे, मंगनीज आदि के निक्षेप पाये गये हैं। औद्योगिक दृष्टि से भी यह महत्व-पूर्ण क्षेत्र हो गया है। इसलिये, मेरा निवेदन है कि कोल्हापुर तक लाईन अवश्य बढ़ाई जाय। यह लाईन चूंकि पश्चिमी तट से भी निकट है इस लिये उसका बनाया जाना और भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यह लाईन तुलनात्मक दृष्टि से इतनी लम्बी भी नहीं है।

गाड़ियों में भीड़ की समस्या का अब भी समाधान नहीं हुआ है । मंत्री महोदय ने बताया कि भीड़ १४.६ प्रतिशत से घट कर १३.६ प्रतिशत रह गयी है । इसका मतलब यह हुआ कि भीड़ में कमी केवल एक प्रतिशत ही हुई। मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक समिति नियुक्त की जाय।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सैनिकों द्वारा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के इस ओर भारतीय क्षेत्र में छिप कर हमला किया जाना

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : २१ फरवरी, १९६४ को, केरन के निकट, भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर भारतीय क्षेत्र में छिपकर हमला किया गया। दो कांस्टेबल किसी तरह निकल आये और शेष में से शायद कुछ मारे गये और कुछ पकड़ लिये गये।

[श्री यशवन्तराव चौह्वान]

वैसे दोनों ओर के सैनिक युद्ध-विराम रेखा के ५०० गज के क्षेत्र में नहीं जा सकते परन्तु, पुलिस के गश्ती दस्ते उस रेखा तक जा सकते हैं। हमारी पुलिस का गश्ती दस्ता उसी क्षेत्र में युद्ध-विराम रेखा से इधर की ओर था जब छिपकर उस पर हमला किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यवेक्षक दल आज इस घटना की छानबीन के लिए केरन पहुंचने वाला है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): पाकिस्तान की खबर है कि २५ व्यक्ति मारे गये हैं परन्तु हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है । इसलिए मैं श्री नाथ पाई का समर्थन करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति दिये जाने के बारे में क्या कोई आपत्ति है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो सूचना मेरे पास थी सभा के समक्ष रख दी गयी है।

श्री नाथ पाई : अध्यक्षपीठ का रुख बहुत न्यायसंगत था। उन्होंने कहा था कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में निर्णय लिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ४.३० बजे इस विषय पर मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे और उस के पश्चात स्थगत प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में विचार किया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बारे में हम एक दो बातें पूछना चाहते हैं। इस खबर को दो दिन तक दबाया गया। मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय को यह सूचना कैसे मिली ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के रूप में लिया गया तो मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। अन्यथा इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में लिया जायगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति दिये जाने के लिये ५० एदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब चूंकि समय बहुत हो गया है और बहुत से सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे कल सुबह तक के लिए स्थगित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि जब सूचित कर दिया गया था कि इसे ४.३० बजे लिया जायगा, तो क्या अब यह उचित है . . .

श्री रंगा (चित्तूर) : कृपया आप इस अनुरोध को स्वीकार करें। यह बात उस समय हमारे ध्यान में नहीं आई थी कि आप ५० सदस्यों के समर्थनार्थ इस प्रश्न को सभा के समक्ष रखेंगे . . . (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि यह बात रिकार्ड में जाय और सभी इसे देखें कि विरोधी पक्ष वालों को समर्थन प्राप्त करने के लिये मैं ने समय दिया और कि जब यह प्रश्न सभा में रखा गया उस समय वह समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं था ?

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, शिलांग के बारे में स्थगन प्रस्ताव जब सभा के समक्ष आया था तो आपने सरकार को ऐसे दो अवसर दिये थे। अब मेरा अनुरोध है कि मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं सभा को अनुमति संबंधी प्रस्ताव कल प्रस्तुत करूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस बारे में दो घंटे की चर्चा रख दी जाय तो क्या माननीय मंत्री को कोई आपत्ति है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम इस बारे में विचार कर सकते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : जब आप पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है तो वह कहते हैं कि वह इस बारे में विचार करेंगे। यह बहुत अभद्र सी बात है . . **(अन्तर्बाधायें)**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या इस बारे में कल चर्चा होगी ?

श्री श्यामलाल सर्राफ : काश्मीर की स्थिति बहुत गम्भीर है। सीमा से उस पार कुछ भी किसी समय हो सकता है, अतः श्री माथुर का कहना ठीक है कि इस मामले पर सविस्तार चर्चा हो जानी चाहिये थी। मैं श्री माथुर का समर्थन करता हूं।

श्री स्वैल : मैं समझ रहा था कि अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ४.३० पर लिया जायेगा अच्छा हो कि इस स्थगन प्रस्ताव को कल ४ बजे ले लिया जाय।

श्री हिर विष्णु कामत : मैं एक बार पुनः आप से अपील करूंगा। नियम ३८९ के अन्तर्गत यदि आप चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपने नियम ६० के उप-नियम (१) में परिवर्तन कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तीन अवस्थायें हैं। सब से पहिले यह कि अध्यक्ष को यह देखना होता है कि उसे अनुमति देनी है अथवा नहीं। अनुमति देने के लिए उसे कुछ तथ्य देखने होते हैं। यदि अनुमति देनी हो तो उसे उस सदस्य को कहना होता है कि वह सदन से अनुमति मांगे। यह दूसरी अवस्था है। यदि इस पर दूसरे पक्ष से आपत्ति उठा दी जाय तो अध्यक्ष सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने को कहता है। यदि संख्या ५० हो इसे स्वीकृत किया जाता है और चर्चा के लिए ले लिया जाता है। अनुमति दे दी गयी है और सदस्य सदन की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नों के घंटे के बाद भी लिया जा सकता है, परन्तु यह नहीं कि इसे स्थगित अथवा विलम्बित नहीं किया जा सकता। स्थगन प्रस्ताव को स्थापित तथ्यों के आधार पर ही स्वीकृत किया जा सकता है। यदि तथ्यों का पता नहीं तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मैंने सरकार को तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था और इसके लिए उन्हें समय भी दिया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे भ्रांतिजनक हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा भी यही मत है कि इसे कल ४ बजे लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहिले अनुमति प्राप्त करनी होगी। माननीय सदस्य द्वारा अनुमति मांगी गयी है।

श्री रंगा : अच्छा हो यदि इस मामले को अध्यक्ष महोदय कल पर छोड़ दें।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अधीन मैं ऐसा नहीं कर सकता परन्तु यदि सदन इस बात की अनुमति दे दे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। लगता है सदन इसके पक्ष में नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाय। ५० माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए। अत : अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री फ्रेंक एन्थनी : (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय) : यह नियम तो आदेशात्मक है। स्पष्ट है कि यह प्रश्नों से पहिले और कार्य सूची से पहिले हैं। यदि आपका विचार हो कि यह नियमानुकूल है तो उसे प्रश्नों के बाद लिया जा सकता है।

श्री नाथ पाई : खेद है कि विशेष नियम का आश्रय लेकर इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे लिए विरोध स्वरूप सभा भवन को त्याग कर चले जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : हम मतदान में भाग नहीं लेना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : सदन कल ११ बजे तक के लिए स्थगित होता है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार २५ फरवरी १९६४/फाल्गुन ६, १८८५ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday the 25th February, 1964/Phalguna 6, 1885 (Saka)

GMGIPND—LS III—2347(ai)LS—21-5-64—600